Haryana Vidhan Sabha

Debates

10th February, 1969

Vol . I—No. 9

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Monday, the 10th February, 1969

	Page
Supplementaries to Starred Question No. 188 (Postponed)	(9)1
Supplementaries to Starred Question No. 268	(9)1
Starred Questions and Answers	(9)5
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	(9)32
Unstarred Question and Answer	(9)39
Ruling by the Speaker	(9)40
Question of Privilege reg - alleged kidnapping of Shri Joginder Singh M.L.A.	(9)41
Call Attention Notices	(9)41
Question of Privilege reg- leakage of Budget for the year 1969-70	(9)45
Point of order reg- presentation of Budget for the year 1969-70	(9)45
Walk out	(9)50
Point of order reg- presentation of Budget for the year 1969-70 (resumption)	(9)50
Walk out	(9)55

HARYANA VIDHAN SABHA

Monday, the 10th February, 1969

The Vidhan Sabha met in the Hall of the Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh-1 at 2.00 P.M. of the Clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

***SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 188**

(POSTPONED)

Mr. Speaker : The first question on which some supplementaries were to be asked is postponed for tomorrow because the information is still not available. This question No. 188 was by Major Amir Singh.

SUPPLEMENTARIES TO STARRED QUESTION No. 268.

Mr. Speaker : The next question is in the name of Chaudhry Chand Ram.

श्री मंगल सेन : कया मंत्री महोदय बताएगे कि श्री देवी प्रसन्ना जी को जब नियुक्त किया गया था उस वक्त उनकी योग्यता क्या थी?

लोक कार्य मन्त्री : वे मैट्रिक है' ।

चौधरी चन्दा सिंह : आन एर प्वांयट आफ आर्डर, स्पीकर साहिब में पूछना चाहता हूं कि क्या अटानोमस बाडी के बारे में क्वैश्चन पूछा जा सकता है?

Mr. Speaker ; it is under the Government of Haryana.

श्री मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय फाईल देखकर बताएंगे कि जब देवी प्रसन्ना की एप्यायंटमेंट का सवाल आया उस वक्त उनका नाम ड्राप कर दिया गया था क्योंकि वे कंसोलिऐशन डिपार्टमेंट के डिसमिसशुदा आदमी थे?

मंत्री : ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय बतांएगे कि उन्हें एक सिटिंग का यानि एक दिन का कितना रुपया देते है'?

मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैने अर्ज किया कि बोर्ड की बोर्ड मीटिंग अटैड करने के लिये उनको सौ रुपया मिलता है ।

श्री मंगल सैन : क्या मत्री महोदय बताएंगे कि श्री देवी प्रसन्ना ने दिसम्बर मास में जो रुपया ड्रा किया है उसकी क्लैरिफिकेशन क्या है? उन्हेंने दिसम्बर में 460.80 रुपये का टी.ए. लिया है । वहां जाकर इन्स्पैक्शन भी किया जिसके लिये 981 रुपये लिये हैं । क्या मन्त्री महोदय इस बात की क्लैरिफिकेशन देंगे कि 460 रुपये कितने दिनों के हैं और 981 रपये किस बात के हैं?

मन्त्री : स्पीकर साहिब, सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट ऐसा है जो ज्यादा बनता है । जो अमाउंट डन्स्पैक्शन करने. के लिये बाहर जाने का है वह तो उनको मिलना ही था । मीटिंग अटैंड करने के लिये जो वे बाहर तशरीफ ले जाते हैं उसके लिए जो टी.ए. ,डी.ए. वगैरा बनत है वह उन्हें मिलता है । इसके अलावा जव वे पब्लिक की

डिफिकल्टीज' सुनने के लिये बाहृ जाते हैं उसके लिये भी अलग पैसा खर्च होता है ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्पा मंत्री महोदय वताएंगे कि पार्ट टाइम इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के मेम्बर को क्या मंथली अलाउंस मिलता है?

मन्त्री : जी नहीं, सिर्फ मीटिंग अटैन्ड– केरने का मिलता है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मेरे प्रश्न का उत्तर सन्तोषजनक कहीं आया । मंत्री महोदय ने जो सौ रुपये का जिक्र किया हूँ मैंने उसके बारे में नहीं पूछा । मैने पूछा है कि टी०ए ० के हैड में से आपने 460.80 रुपए दिये हैं और 981 रुपये इन्स्पैक्शन आफ वर्क्स के दिय हैं वह किस लिए दिये हैं? यह तो मेरी समझ में आ गया कि आपने अपने आदमियों को भर्ती करने के लिये ही दिए हैं ।

मन्त्री : मैने जो कहा शायद डाक्टर साहिब समझ नहीं सके । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जबर्दस्त करम हुआ है । कमेडेबल वर्क किया है । 15 हजार कनैक्शन हमने दे दिये हैं और 5 हजार मार्च तक दे दिए जायेंगे । उन्होंने पब्लिक की ग्रीबैसिज सुनी है' और बोर्ड का जो एक्सट्रा काम है वहू भी उन्हें सोपा है । इस तरह उनसे काफी काम त्नेना पड़ता है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, इन्होंने वजह फर्माई है कि उनसे बहुत काम लेना पड़ता है और साथही यह कहा कि कमेडेबल काम किया है । मे सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आपने दवी प्रसन्ना जी को 460 रुपये किस बात के दिये । फिर जनवरी महीने में

480. 80 रुपए दिये । इसके बाद 430. 75 रुपये भर्ती करने के लिये दिये । लेकिन श्री सहदेव सिंह मलिक ने बड़ा त्याग दिखाया, उन्होंने जनवरी महीने. में कुछ नहीं लिया । क्या इन दोनों की एक जैसी ड्यूटियां हैं या अलग अलग?

मन्त्री : जो आदमी टूर पर जायेगा वह तो पैसे लेगा ही ।

चौधरी नेकी राम : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक महीने में बोर्ड की कितनी मीटिंग्ज होती हैं?

मन्त्री : महीने में कई मीटिग्ज हो सकती हैं । दो भी हो सकती हैं चार भी हो सकती हैं ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो पंजाब में मेम्बर हुआ करते थे उन को क्या फैसिलिटीज दी जाती थीं?

मन्त्री : वैसे तो डस सवाल के लिये नोटिस देना चाहिए, लेकिन जितना मुझे इस वक्त पता है उसके मुताबिक सात सौ –रुपया महीना दिया जाता था । यह बड़ा एक्सपैंसिव पड़ता था और जो हम अब देते है' यह उससे कम पड़ता है ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि जो पहले मेम्बर थे यानि जो इन मैम्बरों के प्रैडिसेसर थे उन को सात सौ रुपया महीना दिया जाता था । लेकिन इस वक्त इन दो मेम्बरों ने इससे कही ज्यादा रुपया लिया हूँ । दिसम्बर के महीने में श्री देवी प्रसन्ना ने 14 सौ रुपये लिये है' और श्री सहदेव

मलिक ने 18 सौ रुपये लिये. हैं । क्या पहले मैम्बरों के नक्शेकदम पर चल कर इन नये मेम्बरों को सात सौ रुपये नहीं दिए जा सकते थे? मुथ्य मन्त्री रू स्पीकर साहिब, जो पहले काबिल मेम्बर होते थे उनके टाइम में तो 20 फल में 19 हजार ट्यूबवैल लगे थे जबकि इन मेम्बरों के टाइम में 8 महीनों में 15 हजार लग चुके हैं । अगर ज्यादा काम करेंगे, स्पीकर साहिब, तो खर्चा ज्यादा होगा ही । सुपर्विजन के लिये आदमी चाहिए । सुपर्विजन होता है तो काम होता है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहिब फरमारएंगे कि यह जो इतनी तेजी से ट्यूबवैल लगे, इसका सारा क्रेडिट इन दो साहिबान को ही जाता है, महकमे को बिल्कुल नहीं? लोक कार्य मन्त्री रू नहीं, गवर्नमैट को भी जाता है ।

मुख्य मन्त्री : सभी को जाता हूँ क्योंकि सभी ने काम किया है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, चीफ मिनिस्टर साहिब ने अभी फरमाया कि इन्हों– ने बड़ी तेजी के साथ 15 हजार ट्य्रूबवैल्ज को कनैक्शन दिए है' । लेकिन क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि उनके पास इस किस्म की शिकायात आई हैं कि यह जो एक्सपैन्शन हुआ है या विकास हुआ है यह बिना पावर के हुआ है और इस की वजह से– किसानों को बेशुमार नुकसान हुआ हूँ तथा मोटरें जल रही हैं और फसलें सूख रही हैं?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, लीडर आफ ने आपोजीशन यह भूल गए कि यह सप्लिमैटरी इसमें से अराडज होता है या नहीं । अप्वायंटमेंट का सवाल था । ट्युबवैल्ज तो मैने एक कारण बताया । ब्रूसके लिये तो यदि ये नोटिस दें तो जवाब दे दिया जाएगा ।

Mr. Speaker : I think, in the answer given here, certain achievement was highlighted quite correctly, and as a result of the answers given, supplementaries were put by the Members. Now, with regard to that achievement certain aspect is being pointed out. So, naturally this supplementary flows from the answers given.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, किसी किसी इलाके से इस किस्म की शिकायतें हैं । बहुत सी शिकायतों को दूर कर दिया गया है और बाकियों को देख रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष : चन्द्रावती जी, आप कुछ कह रही थीं ।

श्रीमती चन्द्रावती : जनाव, मेरे सवाल का जवाब नहीं आया ।

मुख्य मन्त्री : वह तो पंजाब के वक्त की वात है । इनफर्मेशन पंजाब के पास होगी । हमारे पास अगर इंफर्मेशन मिलेगी तो बता देगे ।

श्रीमती चन्द्रावती : जनाब, मेरा तो यह सवाल था कि इन मेम्वर्ज से पहले जो मेम्बर्ज थे उनको क्या फैसिलिटीज मिलती थीं? उस वक्त स्टेट तो एक ही थी । इनको उसका जवाब देना चाहिए ।

अगर ये आज नहीं दे सकते तो कल दे. दे मगर मेरे सवात का जवाब जरूर देना चाहिए ।

Mr. Speaker : Mr. Poswal had said that he will give you the answer.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मुख्य मंत्री जी ने यह जो टाल क्लेम किया कि 15 हजार ट्यूबवैल्ज एनरजाइज किए गा! हैं, इसके मुताल्लिक मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या यह सच नहीं कि इन पार्ट–टाईम एमचउलाईज और मेम्बरों को एम्पलाये' करने से पहने 12 हजार ट्यूबवैल्ज लग चुके थे?

मुख्य मन्त्री : जी नहीं रू ज्यादा इसी अर्से में लगे हें । जैसा मैंने अर्ज किया, पिछले महीनों में जो कुछ हुआ उसका क्रेडिट इन्हीं को जाता है ।

Mr Speaker : I think, we had a number of supplementaries.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, मुख्य मंत्री जी ने अभी यह बात कही कि पिछले मेम्बरों ने 20 साल तक वहू काबलियत नहीं दिखाई जो इनके दो दोस्तों ने थोड़े से अर्से में दिखाई है । तो मैं आपके द्वारा उनसे जानना चाहता हूं कि पिछले 20 सालों में हुकूमत कांग्रेस की थी या किसी और पार्टी की थी?

Mr. Speaker : 1 think, Doctor. Sahib, you know better.

Shri Mangal Sein : I know, Sir, but wanted to expose them.

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से जानना चाहुंगा कि क्या हाउस के आनरेबल मेम्वर को बोर्ड का मेम्वर वनाया जा सकता है?

मुख्य मन्त्री : आप दरग्बास्त दें, यदि लगना हो तो । उसके बाद गौर कर लेंगे ।

राब बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, मैं चीफ मिनिस्टर साहिब से जानना चाहता हूं कि यह जो नाम आया देवी प्रसन्ना, यह कायदे को बाइ–पास करने के लिये एक अनारेबल मेम्बर का नाम बदलकर वहां रखा गया है या कोई और है? (हंसी)

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, राव साहिब ने पूछा था कि क्या हाउस का आनरेबल मेम्बर बोर्ड का सदस्य बन सकता है? इसके वारे में मैने अर्ज किया द्रै कि अगर राव साहिब दरखास्त देंगे तो सरकार गौर करेगी ।

Mr. Speaker : Question by Shri Mangal Sein.

Shri Mangal Sein : M. Question No. 255 comes next, Sir.

Mr. Speaker : We k your Question first.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Purchase of Foodgrains from Food Corporation

***255. Shri Mangal Sein :** Will the Minister for Public Works be pleased to state whether the Government propose to purchase the foodgrains from the Food Corporation and sell

the same to the depots and also in the open market in the State ?

Shri K.L. Poswal : No, please.

श्री मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब फसल पकने के बाद अनाज मंडी में आया था उस वक्त फृड कारपोरेशन ने उसे किस भावै से खरीदा था?

मन्त्री : स्पीकर साहिब, प्रश्नमें यह पूछा गया था कि फूड कारपोरेशन से अनाज खरीद कर हम देगे या नहीं । उसके जबाव में मैंने अर्ज किया है कि 'नहीं' क्योंकि पोजीशन यह है कि हमारे पास स्टाक है और हुमें जरूरत नहीं है खरीदने की । इसलिये, इसके अलावा अगर ये कोई इंफर्मेशन लेना चाहे तो मुझे अलग से नोटिस दें ।

श्री मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय यह वताने का कष्ट करेंगे कि इस समय वे डिपुओं पर किस भाव से आटा दे रहे है?

मन्त्री : इसके लिये नोटिस दे तो पता कर देंगें । वैसे आटा और गेहूं दौनों चीजें दे रहे हैं ।

श्री मंगल सैन : क्या मंत्री महोदय यह बात बताने की तकलीफ करेंगे कि डिस्ट्रिक्टस को, अकाल पड़ने' और गवर्नमेंट की वजह से पानी का सिस्टम फेल होने के कारण अनाज में आई स्केरसिटी को ध्यान में रखते हुए, वे. डिपुओं में अनाज दे रहे ह्रुँ'?

मन्त्री : दे रहे है, जी । मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं ।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, दे रहे है तो ठीक है । लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें भाव का पता नहीं । यह बात मेरी समझ में नहीं आई । पहले न कर गए, अब हां कहरू रहे है । खैर, मैं इनसे फिर जानना चाहता हूं कि अगर दे रहे हैतो किस भाव पर जनता को वेच रहे हैं?

मन्त्री : उसके लिये मैने अलग नोटिस देने के लिए अर्ज किया है ।

Mr. Speaker : Your main question was quite different.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब उन्होंने जो उत्तर दिया, उसी में से यह सप्लिमैटंरी पैदा होता है । आपने भी जनाब अभी रूलिंग दी थी एक सवाल के बारे में कि सप्लिमैटरी पैदा होता है.

श्री अध्यक्ष : इसमें से नहीं होता ।

श्री मंगल सैन : आपकी मर्जी है, जनाब, वैसे होता तो है ।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो अनाज डिपुओं में रखा जाता है उसे खराब होने से बचाने के लिये क्या प्रिकाशन्ज लिए जाते है?

मन्त्री : वह तो डिपुओं वाले खुद –इन्तजाम करते हँ ।

श्रीमती चन्द्रावती : नहीं जनाब. मैं तो उस अनाज के बारे में पूछ रही हूं जो सरकार की तरफ से खरीदा जाता है और डिपुओं में रखा जाता है ।

Mr. Speaker : This is also a Question which need not be answered as it does not arise out of the main question.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहिब, यहं मुख्य प्रश्न में से ही पैदा होता है ।

श्री अध्यक्ष : कैसे?

श्रीमती चन्द्रावती : मुख्य सवाल में लिखा है, '' क्या लोक कार्य मंत्री कृपया बताएंगे कि क्या सरकार फूड कारपोरेशन से अनाज खरीद कर राज्य में डिपूओं को तथा खुले बाजार में बेचने का विचार रखती है? '' तो स्पीकर– साहिब, इसके अन्दर सें तो सप्लिमैन्टरी पूछा जा सकता है ।

श्री अध्यक्ष : आपका सवात स्टोरेज के थारे में है क्योंकि आप पूछ रही है' कि स्टोरेज के लिये क्या प्रिकाशन्ज लेते हैं ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि डिपुओं पर कई स्थानों पर जौ आटा दिया जाता है चुंकि लोग उसे लेना नही चाहते बल्कि उसके बदले में गेहूं तेना चाहते हैं, इस लिए वे गेहूं देने का प्रबन्ध करेंगे?

मन्त्री : स्पीकर साहिब, पहले हम आटा ही सप्लाई करते थे लेकिन फिर जब दिक्कत महसूस हुई तो गेहूं भी दे रहे है' । लेकिन इसके बावजूद भी अगर कहीं शिकायत हो तो आनरेबल मेम्बर यदि हमारे नोटिस में लाएंगे तो हम गेहूं ज्यादा भी दे सकते हैं ।

चौधरी अब्दुल रजाक खां : स्पीकर साहिब, में खुराक के वजीर साहिब से जानना चाहूंगा कि कहत के पेशेनजर वे गेहूं को नो प्राफिट नो लास बेसिज पर सप्लाई कर रहे है या कुछ प्राफिट 'ले रहे है'?

मन्त्री : नफा कोई नहीं है ।

Power Supply in Haryana State

***147. Shri Daya Krishan :** Will the Minister for Public Works be pleased to state—

(a) whether it is a fact that with the completion of new power generation schemes, the power supply in Haryana will still be short of the demand by 178 M.W. by the end of Fourth Five-Year Plan -

(b) whether Western Jamuna Canal Power Project and the Yamunanagar Thermal Power Plant Scheme are to be completed ;

(c) if so, within what period, at what estimated cost and with what expectant results ?

Shri K.L. Poswal : (a) As per latest assessment figures available. Haryana will be short of demand by 74 M.W. by the end of the Fourth Five-Year Plan.

(b) There is a proposal to construct a Thermal Power Plant in Haryana of the capacity of 55/60 M. W. during the Fourth Five-Year Plan which is expected to be completed by 1972-73. The final selection of a suitable site is being mad by

Central Water and Power Commission.

There is also a scheme for constructing Hydro Electric Power Houses on Western Jamuna Canal with an installed capacity of 22.5 M.W.

(c) The Thermal Power House mentioned above is expected to be completed by 1972-73. The estimated cost of the Project is about Rs. 12 crores. The Power House, when completed, shall add 55 M.W. of firm capacity to the system.

The Western Yamuna Hydro Electric Scheme can be completed in five years after clearance by the Planning Commission and subject to the availability of funds. The expected cost is Rs. 8 crores and firm generation 17 M.W.

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि जो 12 करोड़ रुपये की लागत से थरमल पावर प्लांट फरीदाबाद में लगाना है, इसको हरियाणा से बाहर लगाने की भी क्या कोई योजना है?

मन्त्री : स्पीकर साहिब, पोजीशन यह है कि इस प्लांट के लिए दो जगह देखी गयी हैं । इकानोमी के लिहाज से तो दिल्ली में लगना चाहिए लेकिन हमारी ख्वाहिश यह है कि यह फरीदाबाद में लगे । यह केस सैट्रल वाटर एंड पावर कमिशन के पास है ।

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहिब फरीदाबाद में गये थे और उन्होंने वहां यह कहा कि यह फरीदाबाद में न लगे और दिल्ली में लगे?

मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं अर्ज कर चुका हूं कि अब यह हरियाणा में फरीदाबाद में लगाने का विचार है ।

श्री मंगल सैन : क्या लोक कार्य मंज यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह थर्मल प्लांट किसी और जगह भी लगाया जा सकता है?

मन्त्री : यह तो उसी जगह लगाया जा सकता है जो फरीदाबाद से नजदीक से नजदीक जगह हो

Family Planning Scheme in the State

***145. Shri Daya Krishan** : Will the Minister for Health be pleased to state—

(a) the target, if any fixed, districtwise for the vasectomy, tubecotomy and loop cases in the State for the financial year 1967-68 and 1968-69, separately ;

(b) the achievement made during the above period, separately ;

(c) the amount spent or proposed to be spent during the above periods on Family Planning Scheme, separately ;

(d) the step Government propose to take to make the Family Planning Scheme more effective in all sections of society especially amongst the poor ;

(e) whether the Government supplies pills for birth control ; if so, whether these pills have proved efficacious ?

Chaudhry Khurshed Ahmed : (a) and (b) The requisite inform action is laid on the table of the House.

(c) The expenditure incurred on the Family Planning Programme during the years 1967-68 was Rs. 40.53 lakhs. As regards the expenditure which was proposed to be spent during the current financial year was Rs. 64,38,220. Uptill December, 1968, a sum of Rs. 37.97 lakhs has been spent, excluding capital expenditure.

(d) The requisite information is laid on the Table of the House.

(e) 11 Pilot Projects are functioning. The total number of women given pills so far are 118. The scheme of pills for birth control has proved efficacious in 50 per cent cases.

(a) & (b)

STATEMENT

Showing the achievements made in IUCD and sterilization operations, districtwise, from April, 1967 to March, 1968 in Haryana Sterilization Operations

Serial No.	Name of the District	Targets year marked 1967-68	Achievements Vasect.	Tub.	Total	Percentage	Targets year marked 1967-68	AAchievements	Perentage
1	Ambala	4,508	2,859	90	2,949	65.4	9,200	11,767	127 .9
2	Gurgaon	5,793	1,770	27	1,797	30.9	10,296	10,152	98.6
3	Hissar	7,712	4,019	79	4,098	51.8	15,424	7,867	51.0
4	Jind	2,332	1,138	2	1,140	48.9	4,480	1,866	41.7
5	Karnal	7,082	1,640	48	1,688	23.8	14,664	8,920	60.8

6	Mohindergarh	2,916	2,681		2,681	91 .9	5,332	3,232	60 .6
7.	Rohtak	6,820	2,255	81	2,336	34.3	13,140	14,257	108.4
	Total.	37,168	16,362	327	16,689	44 .9	74,336	58,056	78.1

Note.-No special targets were fixed for vasectomy and Tubectomy operations.

Statement showing the achievements made in IUCD and Sterilization Operaptions, Districtwise, from April, 1968 to December, 1968 in Haryana State

		Sterilization Operations					I.U.C.D. Insertions		
		Achievements							
Serial No.	Name of the District	Targets year marked 1968-69	Vasect.	Tub.	Total	Percentage	Targets year marked 1967-68	AAchievements	Perentage
1	Ambala	6,697	1,410	422	1,832	27.4	4,405	3,853	87.2
2	Gurgaon	9,384	1,397	293	1,690	18.0	6,255	2,582	41.2
3	Hissar	11,650	1,937	1,091	3,028	26.8	7,767	3,034	39.1
4	Jind	3,511	536	80	616	17.5	2,341	919	39.3

5	Karnal	11,265	2,794	1,106	3,900	34.8	7,510	2,193	29.2
6	Mohindergarh	4,143	1,661	24	1,685	40.7	2,762	1,857	67.3
7.	Rohtak	10,737	1,658	765	2,42?	22.5	7,158	4,619	65.9
	Total.	57,387	11,393	3,781	15,174	26.4	38,258	19,047	49 8

Note.-No separate targets were fixed for vasectomy and tubectomy operations for the year 1968-0.

STATEMENT

(d) The State Government have decided to take the following steps to make the Family Planning Programme an effective one in all the sections of the Society specially amongst the poor

(1) The Helpers' Scheme has been introduced in all the districts for motivating the eligible couples *for* adopting any method of birth

control. Any member of the public including Panches-Sarpanches and Harijan Panches can work as Helpers. For doing the work of Family Planning as Helpers, a man/woman will i e given Rs 50 per mensem provided he/she brings six cases for sterilization operations and fifteen cases for IUCD insertions.

(2) It has been decided that at least one wall in every village should be painted in the State for Family Planning Programme.

(3) Literature on Family Planning is being supplied to registered medical Practitioners whether Allopathic or Homeopathic for onward distribution to the masses. The said Registered Medical Practitioners have been declared Depot-holders foi distributing Conventional Contraceptives.

(4) Apart from this, compensation money is paid to staff motivators, etc., per case at the following rates :—

(i) IUCD insertions Rs. 11 per case

(ii) Vasectomy operations Rs. 30 per case.

Rs 40 per case in

Hospitals/dispensaries and

(iii) Tubectomy operations Rs 90 per case in Camps of

four weeks duration.

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो फिगर दी हैं वे 1968–6 9 में 19 67–6 8 की निस्बत कम क्यों है'?

मन्त्री : स्पीकर साहिब, इसके लिए कई फैक्टर है, पीछे अलिजिबल कपल्ज का पिछले सालों में तमाम किस्म के जो आप्रेशन या पिल्ज या दूसरे फैमिली प्लानिंग के तहत कवर हो चुका था अब लिमिटिड नम्बर रह गया है । अब तकरीबन डाइहार्ड सैक्शन ही रह गया है इसलिए कम रिसपास हो रहा है ।

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि आप्रेशन ठीक न होने के कारण यह फैमिली प्लानिंग की स्कीम सक्सैसफुल नजर नहीं आ रही है?

मन्त्री : बहुत कम केसिस हमारे पास आये हैं जो आप्रेशन करने के बाद वह फेल हो गए हो ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिन हैल्प कर्मचारियों ने ऐसी औरतों को लूप लगाये थे, जिनकी मृत्यु हो गयी है, सरकार उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी?

मन्त्री : हमारे नोटिस में कोई ऐसी शिकायत नहीं आई है कि लूप लगाने से किसी की मृत्यु हो गयी हो, या तकलीफ हुई हो । हां

दो –चार केसों की शिकायतें हुमारे नोटिस में आयी हैं । उनके बारे में हायस्ट मैडिकल आफिसर स्टडी कर रहे हैं और उनका इलाज भी हो रहा है ।

चौधरी लाल सिंह : क्या जिन कर्मचारियों ने बिना स्वीकृति लिए नाजायज आप्रशन किए हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जायेगा ।

मन्त्री : जहां तक नाजायज आप्रेशन की शिकायतों का सम्बन्ध है इन्कवायरी हो रही है और जब इन्क्वायरी मुकम्मल हो जायेगी उनके खिलाफ मुनासिब कार्यवाही की जायेगी ।

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या मत्री महोदय यह वताने की कृपा करेंगे कि श्री लाल सिंह जी की धर्मपत्नि का जो केस उनके नोटिस मे आया है, उसके बारे में क्या एक्शन लिया गया?

श्री अध्यक्ष : डिस–अलाउड ।

श्री ओमप्रकाश गंर्ग : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि फैमिली प्लानिंग में आप्रेशन पुलिस के आर्डर से जबर्दस्ती कराये जाते हैं?

मन्त्री : हमारे डिपार्टमैटं की तरफ से ऐसे कोई आर्डर नहीं हैं ।

चौधरी चांद राम : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि एस. पीज. को यह सर्कुलर जारी किया गया है, जिसमें यह हिदायत दी गयी है कि परिवार नियोजन में मदद करें?

मन्त्री : हम सब महकमों की मदद लेते हैं । अगर किसी महकमे ने मदद की है तो इसकी इत्तला हमारे महकमें के पास नहीं है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, सर । अभी चान्द राम जी ने सवाल पूछा कि पुलिस को कोई हिदायत हुई है कि परिवार नियोजन मैं मदद करें तो मती महोदय ने जबाब दिया कि हमारे पास कोई इत्तला नहीं है । स्पीकर साहिब, गवर्नमेट की तरफ से ऐसा इवेसिव जवाब हो । वे गवर्नमेंट के एक मंत्री हैं, रिसपौन्सिबल आदमी हैं, उनकी जिम्मेदारी है । अगर वे जबाव नहीं देते तो चीफ मिनिस्टर साहिब दें । यह कह देना कि हमारे महकमें से कोई हिदायत नहीं हुई । यह गवर्नमेट का जबाब है महकमे का जबाब नहीं है । इनको जरूर जवाब देना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : हां, यह ठीक है जबाब देना चाहिए ।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, इस किस्म का सर्कुलर हर डिपार्टमेंट को भेजा गया है । हुमने सभी डिपार्टमेंट से उचित सहयोग के लिए अपील की थी ।

श्री दया कृष्ण : क्या वजीर साहिब यह बताने की कृपा करेंगे कि आईन्दा फैमिली प्लानिंग में पुलिस की कोई इमदाद नहीं ली जायेगी?

मुख्य मन्त्री : बिल्कुल नहीं ली जायेगी ।

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जब इन्होंने जवाब यह दिया है कि सर्कुलर सब महकमों को उचित सहयोग दो लिये भेजा गया था तो सीवन में जो कत्ल हुआ वह उचित सहयोग लिया गया शा या क्छ और बात थी?

श्री अध्यक्ष : नाट अलाउड ।

श्री रणधीर सिंह : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि फैमिली प्लानिंग में जो पुलिस वाले मदद करेंगे उनको इनाम में ट्रांजिस्टर वगैरह दिये जाएंगे?

स्वास्थ्य मंत्री : स्पीकर साहिब, अगर आनरेबल सदस्य इसके बारे में सैपेरेट नोटिस दें तो इन्फर्मेशन दे दी जायेगी ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब. सरकार की ओर से एक सर्कुलर निकाला गया है जिसमे यह हिदायत की गई है कि जो 20 आप्रेशन वैसीक्टोमी के मोटिवेट करेगा उसको कोई ट्रांजिस्टर वगैरह दिया जायेगा । उस सर्कुलर की कापी मैंने यहां हाउस के सामने भी रखी थी गालबिन सितम्बर, 19 ह 8 की है । मैने तो स्पैसिफिकली यह पूछा है कि क्या कोई ऐसा सर्कुलररू वगैरह जारी किया गया था ।

मन्त्री : स्पीकर साहिब, बहुत से इनसेंटिव दिये गये हैं यह भी उनमें एक हों सकता है फिर अगर मेम्बर साहिबान चाहे तो जितनी भी गवर्नमेंट की इन्सट्रक्शन है' उनको मैं हाउस के सामने पड़ कर सुना देता हुं ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, मैंने तो यह पूछा है कि क्या इनकी ओर से कोई सर्कुलर निकाला गया था जिस पर इनके दस्तख्त थे और इस किस्म की अपील कोई गयी थी ।

Minister : The State Government have decided to take the following steps to make the Family Planning Programme an effective one in all the sections of the society especially amongst the poor:—

(1) The Helpers' Scheme has been introduced in all the districts for motivating the eligible couples for adopting any method of birth control. Any member of the public including Panches/Sarpanches and Harijan Panches can work as Helpers. For doing the work of Family Planning as Helpers, a man/woman will be given Rs 50 per mensem provided he/she brings six cases for sterilization operations and fifteen cases for IUCD insertions.

(2) It has been decided that at least one Wall in every village should be painted in the State for Family Planning Programme.

(3) Literature on Family Planning is being supplied to registered Medical Practitioners whether Allopathic or Homeopathic for onward distribution to the masses. The said Registered Medical Practitioners have been declared Depot-holders for distributing Conventional Contraceptives.

(4) Apart from this, compensation money is paid to staff motivators, etc., per case at the following rates :—

(i) IUCD insertions Rs 11 per

case

(ii) Vasectomy operations Rs 30 per case

(iii) Tubectomy operations Rs 40 per case in

Hospitals/ dispensaries and Rs 90 per case in Camps of four weeks duration.

चौधरी चांद राम : मेरे सवाल का जबाब नहीं आया है । मैं ने पूछा है कि क्या स्वास्थ्य मन्त्री ने अपने दस्तखत से कोई सर्कुलर जारी किया जिस में यह लिखा है कि जो 20 केसिज मोटीवेट करेगा उस को ट्रांजिस्टर इनाम में दिया जाएगा?

Mr. Speaker : It is a very clear question. You (Health Minister) may give a clear answer.

मन्त्री : फिलहाल मेरे पास सर्कुलर नहीं, देख कर जबाब दे. सकता हूं ।

श्री मंगल सैन : यह जो आपने फरमाया है कि 64 लाख 38 हजार में से 40 लाख रुपया खर्च किया है यह किस किस चीज पर खर्च किया है?

मन्त्री : यह फैमिली प्लानिंग के तहत जो डिफैंट स्कीमें आपके सामने रखी हैं उन तमाम पर इस में से कुछ कुछ रुपया खर्च हुआ है ।

चौधरी लाल सिंह : क्या सरकार बताएगी कि मेरी वाइड को 8 सैक्टर की डिसपेंसरी में जो दाई है और जो कुछ भी नहीं जानती थी लूप लगा कर हमेशा के लिये बीमार कर दिया उसके खिलाफ ऐकशुन लेंगे या नहीं? (हंसी)

मन्त्री : वह हस्पताल हरियाणा सरकार के अंडर नहीं है इसलिए ऐकशान हरियाणा सरकार के बस की बात नहीं है । (हंसी)

चौधरी लाल सिंह : तो इस के लिए मेरे लिए कौन सा रास्ता है? (हंसी)

Mr. Speaker : Disallowed. Personal matters could be dealtwith in a different manner.

चौधरी नेकी राम : क्या यह ठीक है कि यह जो फैमिली प्लानिंग के सिलसिले में आप्रेशन होते हैं. इस में क्या हरिजनों को खासतौर पर लिया जा रहा है?

मन्त्री : इसके लिये अलग अलग लिस्ट मेरे पारा नहीं है अगर मेम्वर साहिवान पूछना चाहेंगे तो मुनासब वक्त पर बता दिया जाएगा ।

चौधरी रणधीर सिंह : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि नसबंदी आप्रेशन्ज के लिये किस किस अवस्था के व्यक्तियों को लिया जा रहा है?

मन्त्री : नसबंदी के लिये एलिजिबल कपल्ज की लिस्ट बनाई जा चुकी है और रजिस्टर तमाम जिलों में तैयार किए जा चुके हैं और जो कपल्ज एलिजिबल हैं उनको ही लिया जाता है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या वजीर साहिब बताएंगे कि यह नसबंदी अगर इतनी ही अच्छी है तो क्या अपना आप्रेशन कराया है और अगर नहीं कराया है तो क्या वजह है?

मंत्री : मैं ने अभी कुआलीफाई किया है । (हंसी)

चौधरी चांद राम : क्या 24 दिसम्रुर को किसी ऐम० ऐल ० ए० की तरफ से गवर्नर को या सैक्रेटरी हैल्थ या डायरेक्टर हैल्थ को तार भेजा गया कि पुलिस इस्तेमाल की गई है और पुलिस के जरिये आप्रेशन किए जा रहे हैं?

मन्त्री : वह स्पैसेफिक तार मेरे पास नहीं है उसके लिये सैपरेट नोटिस देंगे तो तार भी बता देंगे ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, 24 दिसंबर को मैं ने एक .तार दिया और इस बात का दिया कि फोरसीबल आप्रेशन हो रहे है' । 30 दिसम्बर करे फायरिंग हो गई सीवन में । तो मेरे पूछने का मतलब यह हूँ कि जब पहले इस बारे में वारनिंग भी दे दी गई कि पुलिस इस्तेमाल की जा रही है और पुलिस लोगों को घरों से निकाल निकाल कर आप्रेशन कराने. के लिए लाती है तो क्यों नहीं उस वक्त ऐक्शन लिंया गया ताकि यह नौबत न आती जो बाद में हुआ 30 दिसम्बर को?

मुख्य मन्त्री : पुलिस किसी को घरों से बुला कर नहीं लाती है अगर कोई पर्टीकुलर इनसटास देंगे तो देखा जाएगा और जरूरी हुआ तो इक्वायरी की जाएगी ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पास पचास ऐप्लीकेशन्ज हैं जिन में ऐलीगेशन्ज लगाई गई हैं कि फलां थानेदार ने रादौर के थानेदार ने ऐसा किया । अगर आप इन्क्वायरी कमेटी बिठायें या चीफ मिनिस्टर साहिब बिठाये तौ पता चलेगा यह तो इस तरह फैमिली प्रोग्राम को धक्का पहुंचाया जा रहा है पुलिस को इस्तेमाल करके । पुलिस लोगों को घरों से निकाल कर लाती है और मजबूर करती हूँ और ऐसे केसिज भी है' कि मजदूरों ने इस आप्रेशन से बचने के लिये ईख में पनाह ली तो क्या वह इन्क्वायरी कमेटी बिठायेंगे ताकि यह मालूम हो जाए कि गवर्नमेंट का यह मनशा नहीं था कि पुलिस इस्तेमाल न की जाए?

मुख्य मन्त्री : ऐसी इन्क्वायरी कमेटी की कोई जरूरत नहीं हैं ।

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib (Chaudhri Chand Ram), I think, it has been explained earlier on that instructions have been issued that the Police will not interfere in this. This has already been said. If you want to ask about a specific question whether some complaint was received on the 24th, of course, he will need notice. You cannot expect him to remember all the details.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, एक बात आप महसूस करेंगे कि मैने एक सपैसेफिक सवाल पूछा था और हैल्थ मिनिस्टर साहब के सर्कुलर के बारे में पूछा था और वह जवाब नहीं आया है । अगर आप इजाजत दें तो वह उसका जवाब किसी और वक्त दे दें पता करके ।

Mr. Speaker : He has agreed that he will let you know about instructions regarding award of transistor etc., later.

Chaudhry Chand Ram : When, Sir ?

Health Minister : Day after.

चौधरी चांद राम : क्या मैं पूछ सकता हेर कि 28 और 29 दिसम्बर को सीवन गांव में पुलिस क्यों गई?

मुख्य मन्त्री : सीवन केस का जहां तक ताल्लुक है उस बारे में दो बात बताई जा सकती थी वह काल अटेनशन मोशन के जवाब में बता दी गई है और जो बात सब जुडिस है आनरेबल मैम्बर को नहीं पूछना चाहिए. ।

चौधरी चांद राम : वह वाक्या तो 30 दिसम्बर का है और मैं तो 28/29 की बात पूछ रहा हूं । हम तो यह चाहते हैं कि हाई कोर्ट का जज बिठाया जाए ताकि वह दूध का दूध और पानी का पानी कर दे । न हम डी. ऐस. पी. के खिलाफ थे और न थानेदार के खिलाफ थे । दोनों साइड्ज की ऐलीगेएशन्ज हैं और वह कहते हैं कि गए और वह कहते हैं कि वह वहां हाजिर नहीं थे ।

इससे सब को पता लग जाएगा लेकिन वह कहते हैं कि वह इक्वायरी विठाना नहीं चाहते । मैं अर्ज करता हूं कि 28/29 की बात तो कोर्ट में कहीं है इस लिये मैं पूछता हूं कि आया उन दिनों पुलिस सीवन में गई या नहीं और अगर गर्ड तो किस मतलब के लिये गई?

Mr. Speaker : We have considered this question a number of times, you will agree, and even a Call Attention Motion was allowed about this matter. So, I don't think that this particular question is proper at this stage.

खान अब्दुल गफ्फार खां: उन्होंने फरमाया है कि हिदायत जारी कर दी गई हैं कि पुलिस न जाया करे । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कब जारी की है' और क्या सीवन के मामला के बाद जारी हुई या उससे पहले भी जारी थी?

मुख्य मन्त्री : पहले तो ऐसी कोई आशा नहीं रखी जा सकती थी कि पुलिस किसी को बुलाए या ले जाएगी । फिर भी अगर कोई पर्टीकुलर इन्सटांस मेम्बर साहिब गवर्नमैटं के नोटिस में लाएंगे तो गौर किया जाएगा । जब इस किस्म की ज्यादा शिकायतें आई तो उस वक्त ही एसी हिदायतें जारी को जा सकती थीं इसलिये अब की गई हैं ।

Mr. Speaker : So, this was issued after the Siwan fring.

चौधरी चांद राम: क्या इन .आप्रेशन्ज के सिलसिले में किसी पुलिस अफसर को इनाम दिया गया है या दिया जाने वाला हुँ?

मन्त्री : अभी इनाम जितने दिए गए है उनकी लिस्ट मेरे पास नहीं आई है जब आएगी तो बता देंगे ।

श्री रणधीर सिंह: क्या महकमा की तरफ से कोई ऐसी हिदायते दी गई हैं कि पचास साल से ऊपर उमर वाले का आप्रेशन नही किया जाएगा और इतनी उमर से कम उमर वाले का नहीं किया जाएगा?

मन्त्री: डिपार्टमेट को स्कीम्ज पहले बताई जा चुकी हैं कि एलिजिवल कपल्ज की लिस्ट बनी हुई है और जो एलिजिबल कपल की लिस्ट में आता है, डैफिनेशन में आता है उसका आप्रेशन किया जाता है ।

श्री रणधीर सिंह: एलिजिवल कपल की डैफिनेशन क्या है?

मन्त्री : अगर किसी भाई के तीन बच्चे हो तो that comes within the eligible list.

चौधरी रण सिंह: मिनिस्टर साहिब ने अभी यह फरमाया हँ कि एलिजिबल कपत्व की लिस्ट बना ली गई है तो उनके बारे में मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर वहू नहीं कराएंगे तो क्या उन्हें जरूरी करवाना पड़ेगा?

Minister : No, We are not taking any penal action on that.

चौधरी चांद राम : क्या स्वास्थ्य मंत्री महोदय बतलाएंगे कि ऐसे बुड्ढ़ों ने जो 70 साल के हो चुके हैं.और उनका सबसे छोटा

बच्वा 13– 14 साल का है उनको भी स्टेरेलाइजेशन करवाने के लिए फोर्स किया गया है, ऐसी कोई शिकायत उन के नोटिस में आई हँ?

मन्त्रीः ऐसे बुड्ढ़े एलिजिबल लिस्ट में नहीं आते । लेकिन अगर किसी ने दूसरी शादी कर ली हैं तो उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा ।

चौधरी चांद राम : यह जनाव ठीक से जवाब न देकर दवेसिव रिप्लाई दे रहे हैं ।

He is betraying the legal knowledge.

Mr. Speaker : The question was a fair one and I think it deserved an answer. Because you have made a list of eligible couples and as Chaudhry Chand Ram said that there were cases where certain persons 70 years old and who had no issues for the last 13 years are being operated upon, naturally somebody is exceeding his limits.

मन्त्री : अगर ऐसे किसी बैरन केस में आप्रेशन हुआ है तो हम इन्क्वायरी करा लेंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, आप हम लोगों के निस्बत ज्यादा समझते हैं । इनके जवाबों से यह मालूम होता है कि मिनिस्टर साहिबान ऐसे पावर के नशे में मदहोश हैं कि सवालों के जो जवाब चाहिएं वह न देकर अपनी मर्जी से जवाब दे रहे हैं । अपोजीशन के मेम्बर साहिब ने यह कहा था कि उनके हाथ के

दस्तखतो से चिट्ठी गई है, मगर वह यह जानकर भी जवाब ठीक से नहीं दे रहे है ।

Mr. Speaker : The Minister has assured that he will give a reply to that.

I will also request the Minister that as far as possible he should give some reasonable reply though he may bring a little humour after doing so within the scope.

Transfer of Health Cadre Dais in Mahendargarh District

***198. Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Minister for Health be pleased to state -

(a) whether it is a fact that in Mahendargarh District the Family Planning Officer, in flagrant violation of service conditions, arbitrarily transferred a number of permanent Health Cadre Dais with clean service record and long experience of efficient handling of maternity cases, against the temporary posts of Family Planning Cadre Dais, with a view to accommodate some of his favourites;

(b) whether it is also a fact that due to unwanted transfers of experienced Dais from Health Centres, the attendence of outdoor and in-door female patients, in the affected Health Centres, has gone down very low;

(c) whether it is further a fact that aggrieved Health Cadre Dais, who expressed some sort of resentment, against the high handeness of the said Family Planning Officer, are being further harassed with successive rapid transfers from place to place; and

(d) if replies to parts (a) and (c) of the question be in the negative in part o. full, the following information may be laid on the Table of the House:—

(i) Cadre-wise nominal rolls of Health and Family Planning Dais of Mahendargarh District, who were transferred during the period from 15th May, 1968 to 31st December, 1968 showing also therein original place of posting and date, place and category, centresub-centre of first and subsequent transfers in each case

(ii) Health Centrewise statement of monthly average of outdoor and in-door patients and maternity cases handled as indoor in. Mahendargarh District during the period:—

(1) 1966-67;

(2) 1967-68 and

(3) 1st April, 1968 to 31st December, 1968 ?

Chaudhri Khurshed Ahmed : (a) At the main centre Jhoju Kalan there were two sanctioned posts of Dais one for Family Planning and other for MCH whereas there were four dais working there. With a view to remain within the sanctioned strength and to fill up the vacant posts, in other sub-centres, two dais were transferred to the sub-centre within the jurisdiction of the main centre, Jhoju Kalan. No violation of any service conditions was made in these transfers and there is only o ne cadre of the dais and they can be posted against any post under Family Planning Programme or MCH Programme.

(b) The transfers of dais in any main centre/sub-centre has no

bearing with the lesser attendance of patients in the main, sub-centres. The attendance of outdoor and indoor female patients has gone down in some of the Primary Health Centres in Mahendargarh district while in others the number has increased.

A comparative statement in this respect at Annexure I has been laid down on the table of the House.

(c) No.

(d) The requisite information has been laid on the table of the House, as follows :—

(i) Nominal roll at Annexure II.

(ii) Health Centrewise statement of monthly average, as desired, at Annexure III.

ANNEXURE I

Comparative statement showing the number of female outdoor and indoor patients who attended the various Health Centres during the period from 1st April to 31st December, 1967 and during the same period in the year 1968 in which these transfers took place.

Name of P.H.C.	Outdoor		Indoor	
	1967	1968	1967	1968
Primary Health Centre, Baund				

	2nd quarter	807	840	20	17
	3rd quarter	954	630	23	9
	4th quarter	80	386	11	
2.	Primary Health Centre , Gopi-				
	2nd quarter	165	244		
	3rd quarter	151	138		1
	4th quarter	116	214		1
3.	Primary Health Centre, Satnali-				
	2nd quarter	338	828	4	
	3rd quarter	480	658	4	
	4th quarter	306	247	1	
4.	Primary Health Centre, Jhohju--				
	2nd quarter	433	399	5	9
	3rd quarter	541	326	20	
	4th quarter	24'	630	2	6
5.	Primary Health Centre, Dochana-				
	2nd quarter	379	626		17

	3rd quarter	406	654		25
	4th quarter	253	433		
6.	Primary Health Centre, Nangal-				
	2nd quarter	578	1,099		9
	3rd quarter	540	718		7
	4th quarter	505	527	1	
7.	Primary Health Centre, Ateli-				
	2nd quarter	1,305	2,251	2	16
	3rd quarter	1,596	1.986	1	16
	4th quarter	746	1,456	8	10
8.	Primary Health Centre, Kanina--				
	2nd quarter	1,312	1,708	103	105
	3rd quarter	1,283	1,638	64	124
	4th quarter	1,086	1,564	77	44
9.	Primary Health Centre, Sehlog-				
	2nd quarter	613	556		
	3rd quarter	31	595		

4th quarter	238	560

ANNEXURE II

Cadrewise nominal Roll of Health and Famly Planining Dais of Mahenderh District who were transferred daring the per from 15th Man 1968 to 31st December, 1968

		First Transfer		Subsequent Transfer if any							
Serial No.	Name of Dai	(with From category of centre/ Sub-centre)	To (with category of centre/ Sub-centre)	From	To	From	To	From	To	From	To
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Smt. Maina Devi	S-Centre Khathuara (FP) (Satnali))	S-Centre Golwa (MCH) (N. Chaudhr								

			y)		
2	Snit. Janki Devi	S-Centre Shampura (Satnali) F.P.	S-Centre, Budwal (N. Chaudhry) (MCH)		
3	Smt. Vedo	S-Centre Rasiwas (JhojhuKalan) FP	S-Centre Karnania .Chaudhry) (NM. H		
4	Smt Marman	S-Centre Pari (Jhoja Kalan) MCH	S-Centre, Nawan (MCH) (Satnali)		
5	Sint,	S-Centre	S-centre	SAC	Women

	Karian	Nawan MCH (SatnaIi)	Paliri (MCH) (Jhojhu Kalan)	Patti (MCH)	Hosp. M. Garb (MCH)				
6	Smt. Hans Kaur (S.C.)	S/C Sohri (MCH) Satnali)	S/C Rasiwas (FP) Jhoju Kalan	S/C Rasiwas (FP)	S/C Burta Kheri (Jhojhu Kalan) (MCH)	S/C Bura Kheri (MCH)	S/C Dudwa (Jhojhu. (FP)	S/C Dudwa (FP)	Rudrol (MCH) (F.P.)
7	Snit. Sirian	S/C Mandoli (FP) Jhojhu Kalan	S/C Sohri MCH (Satnali)						
8	Smt. Santra	S/C Bawal (Kanina)	S/C Shampura FP(Satna						

li)

9	Snit. Chandra-wati	PHC Kanina (MCH)	S/C Bewal (FP) Kanina				
10.	Snit Sadakaur	S/C Ramhas (FP) Kanina	S/C Khatodra (FP) Kanina	S/C Khatodra (FP)	PHC N. Chaudhry (FP)	PHC N Chaudhry (FP)	PHC Sahlong (FP)
11	Smt. Harbai	PHC Kanina MCH	S/C Rambas (FP) (Kanina)				
12	Sint. Phooli	S/C Dongra Ahir (Kanina) FP	S/C Kanti (MCH) Ateli				

13	Smt. Shanti	S/C Kanti MCH (Ateli)	S/0 Dongra Ahir (Kanina) FP
14	Smt. Chandkaur	PHC Sehlong (FP)	S/C Garhi Ruthal (FP) (Ateli)
15	Smt. Gulabkaur	S/C GarhiRuthal (FP) (Ateli)	S /C Dhanaunda (FP) (Sehlong)
16	Smt, Jamna	S/0 Rampura (FP) (Dochana	S/C Bowania (MCH)

		)							
17	Smt. Gian Kaur	PHC Ateli (FP)	S/C Rampura (FP) (Dochana)	S/C Ram Pura (FP)	PHC Ateli (FP)	RHO Ateli (FP)	PHC Jhojhu Kalan (FP)	PHC Jhoju Kalan (FP)	SIC Bachhod (Ateli MCH)
18	Smt. Shanti Devi (Fehro)	PHC Bond (FP)	S/C Dadwan (FP) (Gopi)						
19	Smt. Mani Devi	S/C Dadwan (FP)	PHC Bond (FP)						
20	Smt. Shanti	S/C Dudwa	PHC Jhojhu Kalan (FP)	PHC Jhojhu (FP)	PHC Sat (—) nali (MCH)	PHC Sat-nali (MCH)	PHC Jhojh Kalan	PHC Jhojhn (FP) Kalan (FP)	S/C Palri (Jhojhu MCH)

21	Smt. Mari	PHC Jhojhu Kalan (MCH)	S/C Mandoli (FP) (Jhojhu Kalan)	S/C Mandoli FP	S/C Malra (MCH) (Shelong)		
22	Smt. Lali	PHC Jhojhu Kalan (MCH)	S/C Dudwa (FP) (Jhojhu Kalan)	S/C Dudwa (FP)	S/C Rudrol (MCH) (Gopi)	S/C Rudd (Gopi-MCH)	S/C Mandoli (Jhojhu FR)
23	Smt. Kulwant Kaur	S/C Bucholi FP(Shalong)	S/C Maim (MCH) (Shelong)				
24	Smt. Umrao Vati	S/C Bajar (FP) (Ateli)	S/C Chhappar FP (Gopi)				
25	Smt. Kala	SIC	S/C	SIC	PHC		

	Vati	Chhappar (Gopi)	Bajar (FP) (Ateli)	Bajar (FP)	Jhojhu Kalan (MCH)
26	Smt. Mugli	PHC Kanina (FP)	S/C Manheru (FP) (Bond Kalan)	S/C Manheru (FP)	PHC Kanian (FP)
27	Smt. Kishni	S/C, Misri (FP) (Bond Kalan)	S/C. Sureti (MCH) (Satnali)		
28	Smt. Mews	S/C, Manharu (FP) (Bond Kalan)	S/C, Misri (FP) (Bond Kalan)		
29	Smt. Cheema	SIC, Reghunat	S/C. Gudda		

	Devi	h- Pura (FP) (Dochana)	(MCH) (Kanina)						
30	Smt. Patori	S/C, Gudda (MCH) (Kanina)	S/C, Raghunathpur Dochana (FP)						
31	Smt. Hans Kaur	PHC, Jhojhu Kalan (MCH)	S/C. Dudwa (FP) (Jhojhu Kalan)	S/C, Dudwa (FP)	S/C, Rasiwas (Jhojhu FP)	S/C, Rasiwas (FP)	S/C, Kitlana (Jhojhu-FP)	Sec, Kitlana	S/C, Paintawas Khurd (Jhojhu-FP)
32	Smt. Chandra Vati	S/C. Bura Kheri MCH (Jhojhu	S/C. Dadwan (FP) (Gopi)	S/C Dadwan (FP)	S/C Bura Kheri (Jhojhu				

		Kalan)		) (MCH)
33	Smt. Sarti	Women Hospital,	PHC, Jhojhu Kalan (MCH)	
34	Smt. Kamla	M. Garh (MCH) S/C Bachod (MCH) (Ateli)	PHC Ateli (FP)	
35	Smt. Bharpai	PHCl Gopi (MCP)	PHC. Bond Kalan (MCH)	
36	Smt. Kaushlaya	PHC, Ateli (MCH)	PHC, Gopi (MCH)	
37	Smt. Anguri	PHC, Ateli (FP)	S/C, Rampura	

	Devi		(FP) (Dochana)
38	Smt. Ram Devi	PHC, Nangal Chaudhry (FP)	S/C, Latodra (FP) (Satnali)
39	Smt. Sheo Bai	District F.P. Bureau, Narnaul	PHC Nangal Chaudhry (FP)

मेजर अमीर सिंह चौधरी : सप्लीमेंट्री सर, मिनिस्टर साहिब ने फरमाया है कि हैल्थ काडर और फैमिली प्लैनिंग की दाइयों का ज्वायंट काडर है, क्या में मिनिस्टर महोदय सै यह पूछ सकता हूं कि जिस दाई का फैमिली प्लैनिंग में विश्वास नही हूँ उस दाई को फैमिली प्लेनिग के अन्दर लगाया जा सकता है?

मन्त्री : यह डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि किस दाई का ऐतमाद है और किस का नहीं । मेजर अमीर सिंह चौधरी रू क्या ऐसै आदमियों को जिनका एईतमाद फैमिली प्लैनिंग में नहीं है, उन्हें लगाया जा सकता है ।

मन्त्री : दाई का काडर एक है । अब किस दाई का ऐतमाद है और किस का नहीं, हम डिटेल्ज में नहीं जा सकते ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर किसी मिनिस्टर का फैमिली प्लैनिग में विश्वास न हौ तो क्या वह फैमिली प्लैनिंग का इन्चार्ज हो सकता है?

मन्त्री : अगर ऐसा कोई मिनिस्टर पहले रहा हो तो देख लेंगे मगर मेरा विश्वास है और मैं इसका इन्चार्ज हूं ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या जिन आफिशियल्ज की रिक्रुमैंट फैमिली प्लैनिंग के लिँए की जाती है, उनका ऐनमाद फैमिली प्लैनिंग में नहीं होना चाहिए?

Minister : There is no such clause in the appointment. The posts are filled up from general cadre as well as by

recruitments.

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या स्वास्थ्य मन्त्री महोदय यह बतलएगे कि जिस आदमी के 3 बच्चों से ज्यादा हों उसे फैमिली प्लेनिंग के अन्दर नौकर नहीं रश्क जाता?

मन्त्री : यह मैं देख के बतलाऊंगा ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी: जनाब, मिनिस्टर साहिब ने इस सवाल के सी. पार्ट में जौ जवाब दिया है उसके मुताल्लिक मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह ठीक है किएक साल के अन्दर के एक दाई को 6–6 दफा ट्रांस्फर किया गया?

मन्त्री : इसके ऐडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्ज हैं–

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या यह हैरासमेंट नहीं है कि हर महीने दाइयों को ट्रास्फर किया जाए

Mr. Speaker : I think the point is quite reasonable. If normally a—Dai—whose job we know what it is—is transferred four times within six months, there appears to be, some difficulty.

Minister : The difficulty is either on the part of the Department or the person who is transferred.

Government Servants Under Suspension

***146. Shri Daya Krishan** : Will the Chief Minister be pleased to state :

(a) the number of Gazetted and Non-gazetted Government servants under suspension as on 1st November, 1968. separately ;

(b) the number of Government servants, Gazetted and NonGazetted who are under suspension for more than one year, two years, three years or more than three years, separately;

(c) within what period, the cases of such Government servants are likely to be decided ?

श्री बन्सी लाल :

(क) गजेटिड 21

नान–नजेटिड 468

(ख) गजेटिड––

एक साल से अधिक 7

2 साल से अधिक

3 साल से अधिक

नान गजेटिड–

1 साल से अधिक 68

2 साल से अधिक 16

3 साल से अधिक 18

(ग) कुछ कर्मचरियों के केसीज न्यायालय में चल रहे है वह न्यायालय के फैसले के पश्चात् ही समाप्त होंगे । बाकियों का जितनी जल्दी –हो सके फैसला किया जाएगा ।

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मन्त्री बतलाएगे कि जिन कर्मचारियों के खिलाफ इन्क्वायरी होती है और जो अंडर सस्पेंशन होते हैं उनका कितने अर्से के अन्दर फैसला होना चाहिए । हाई कोर्ट में भी एक साल के बाद फैसला हो जाता है ।

मुख्य मन्त्री : फैसला तो जल्दी से जल्दी होना चाहिए । हाई कोर्ट में भी कुछ केसिज ऐसे होते है' जो डिले हो जाते हैं । कईयों के केसिज रिव्यू होते हैं और इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि –

श्री अध्यक्ष : लिमिट ले डाउन करना मुश्किल है ।

श्री दया कृष्ण : जब हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में लिमिट एक साल की है तो इनके केसिज भी एक साल के अन्दर हो जाने चाहिए ।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, मै' तो एक साल भी बहुत ज्यादा समझता हूं मैं तो समझता हूं कि एक महीने में ही फैसला हो जाना चाहिए मगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की लिमिट रखी हुई है ।

श्री मंगल सैन : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि गजेटिड आफिसर्ज कैं केसिज एक साल से पैडिंग हैंऔर नान–गजेटिड आफिसर्ज के केसिज दो–दो तीन–तीन साल से पैंातडंग हैं? क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि नान–गजेटिड आफिसर्ज की निसबत गजेटिड आफिसज के केसिज का फैसला जल्दी क्यों किया जाता है?

मुख्य मन्त्री : जल्दी तो सब केसिज में किया जाता है फर्क इतना कि नान–गजेटिड आफिसर्ज की तादाद ज्यादा है और गजेटिड की तादाद कम हूँ ।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या मुख्य मन्त्री बताएंगे कि सरकार की तरफ से ऐसी हिदायतें हैं यानि कोई ऐसा रूल बना हुआ है जिसके मुताबिक पैंडिंग केसिज का फैसला छः महीने के अन्दर अन्दर कर दिया जायेगा? अगर छरू महीने. के अन्दर डिपार्टमैंट फैसला नहीं करता तॉ वे केसिज कैबिनेट में रखे जायेंगे?

मुख्य मन्त्री : जी हां, रखा जाता है और उनका रिव्यू किया जाता है ।

Mr. Speaker : The question now is very clear. The answer given is that the normal time fixed is six months. If, by chance, certain cases are not settled by this time, they are brought before the Cabinet, which allows them extra time, if required.

Rao Birender Singh : I would like to know from the Chief

Minister whether he is still working according to those rules and practices and whether such cases are brought before the Cabinet ? He does not seem to know that.

मुख्य मन्त्री : नार्मल टाईम 6 महीने फिक्स किया जाता है ।

Mr. Speaker : Yes, this is being done.

चौधरी लाल सिंह : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि गवर्नमेंट मुलाजमो को जो सहूलतें राव साहिब की सरकार के वक्त में दी गई थीं वह अब भी हैं?

मुख्य मन्त्री : अब तो उनको राव साहिब के टाईम से कही ज्यादा फायदा हैं ।

Recruitment of Class IV Government employees in Haryana Civil Secretariat.

***195 Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that all the districts of Haryana State remain deprived of their due share in the recruitment of Class IV Government Employees, in Haryana Civil Secretariat at Chandigarh ; and

(b) if so, the manner, in which the Government proposes to overcome the problem, so that the various districts may get their due proportionate shares forthwith ?

Shri Bansi Lal : (a) & (b) In the matter of recruitment of

Government employees of whatever class no shares for the districts can be fixed under the law, and all persons registered with the local Employment Exchange have to be considered according to their merits and suitability. So far the Regional Employment Exchange, Chandigarh has been utilized for this purpose but a special Employment Exchange Office is proposed to be set up at Chandigarh shortly to assist in filling vacancies under Haryana Government which are filled by the authorities at Chandigarh.

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मुख्य मंत्री महोदय वताएंगे कि हरियाणा के किस किस जिले से कितने लडके लिए जाते हूं'?

मुख्य मन्त्री : हम सर्विस में किसी जिले का कोटा फिक्स नहीं कर सकते' ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो जिले चण्डीगढ से दूर हैं उनको इसके अन्दर कोई अधिकार नहीं रहा?

मुख्य मन्त्री : अधिकार सबका है, दूर और नजदीक का हिसाब नहीं रखा जाता ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो लोग रजिस्ट्रेशन महेन्द्रगढ और रोहतक में' करवाते है उन्हें यहां नौकरी दी जायेगी?

मुख्य मन्त्री : इसके लिए हम चण्डीगढ में एम्पलायमैटं एक्सचेंज आफिस खोलना चाहते है' और गवर्नमैटं आफ इंडिया के साथ इस केस को टेक–अप किया हुआ है ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि जो लींग वाहर रहते हैं उन की रजिस्ट्रेशन चण्डीगढ में किस तरह से होगी, उसका क्या तरीका होगा ?

मुख्य मन्त्री : इसके लिए रूल्ज बनाये जायेंगे । इसी लिए सैट्रल गवर्नमेंट के साथ केस टेक–अप किया हुआ है और उन्हें लिखा हुआ है कि हमें ऐम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोलने की इजाजत दी जाए ।

चौधरी चांद राम : क्या मुख्य मन्त्री महोदय वताएंगे कि जो वकेंसीज चण्डीगढ़ में होती है उन के अगेन्स्ट रिक्रूटमेट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एम्प्लायमैंट एक्सचेंज है उनकी मार्फत नाम मंगवाये जायेंगे?

मुख्य मन्त्री : हमने पिछले दिनो डिस्ट्रक्ट एम्प्लायमैंट एक्सचेंज से भी कुछ नाम मंगवाये थे और इस तरह हमने कुछ भर्ती भी की है । इमके बावजूद भी चण्डीगढ में एम्प्लायमैट एक्सचेंज खोलना जरूरी हूँ ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : अगर चण्डीगढ़ में एम्प्लायमँट एक्सचेंज खोलने में कोई टैक्निकल डिफिकल्टीज हैं तो सरकार क्यों नहीं

अम्बाला में एम्प्लायमेटं एक्सचेंज खोल लेती जिससे कोई डिफिकल्टी पैदा ही न हों?

मुख्य मन्त्री : चण्डीगढ़ चूंकि यूनियन टैरिटरी हुं, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की इजाजत लेनी जरूरी है, इसी लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया के साथ केस टेक अप किया हुआ है । अम्बाला को चण्डीगढ के साथ लगा नहीं सकते ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो रिक्रुटमेटं हरियाणा बनने से अब तक सैक्रेटेरिएट लैवल पर हुई है वे सब नान–हरियाणवी की हुई है?

मुख्य मन्त्री : यह तो मैने देखा नहीं कि हरियाणवी की हुई है या नान–हरियाणवी की हुई है' । रिक्रूटमैंट पब्लिक सर्विस कमिशन के थ्रु होती है ।

Mr. Speaker: I think, the difficulty so far has been that whenever any posts were required to be filled up here, the names were asked for from the local Exchange. The Government have now assured that they have taken steps to establish the Haryana Employment Exchange Office here which will cater to their needs and also ensure that those registered at District and Tehsil Headquarters are sent up here for various posts. So, they are doing what they can to get the matter expedited.

चौधरी रण सिंह : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताएगे कि हरियाणा के आफिसिज मे रिकूटमैटं करने के लिए एम्प्लायमैक्सचेंज से

लोगों को भर्त्ती करने के लिए क्या तरीका अडाप्ट किया हूँ जिससे कि हरियाणा के बाहर के लोग न आयें?

मुख्य मन्त्री : हम एम्प्लायमैंट से नाम ते लेते है' और उनको एप्वायंट किया जाता है ।

चौधरी चांद राम : जैसा अभी मुख्य मन्त्री ने कहा हूँ कि पब्लिक सर्विस कमिशन की मार्फत भर्त्ती होती है मैं मुख्य मन्त्री महोदय सै पूछना चाहता हूं कि क्या फोर्थ क्लास के एम्प्लाईज को भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन की मार्फत भर्ती करते हैं?

मुख्य मन्त्री : फोर्थ क्लास यानि जौ पब्लिक सर्विस कमिशन की मार्फत भर्त्ती नहीं किये जाते उनको हम खुद भर्त्ती कर लेते है' ।

Mr. Speaker : I did not hear your Question, Mr. Chand Ram.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहिब, सवाल फोर्थ. क्लास का है । जिन की तन्खाह 150 रुपये से ज्यादा होती है उनको पब्लिक सर्विस कमिशन एप्वांयट करता है और इससे नीचे के लैवल के इम्पलाईज' को आफिसिज लैवल द्वार एक कमेटी होती है वह एप्वायट करती है ।

मुख्य मन्त्री : हम अपना एम्प्लायमेंट एक्सचेंज खोलना चाहते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, चौधरी रण सिंह मिनिस्टर रह चुके हैं उन्होंने पूछा था कि हरियाणा के बाहर के लोगों को

सर्विस में आने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाते हैं तो मुख्य मन्त्री ने जवाब दिया था कि हमें मात्नूम नहीं एम्प्लायमेंट एक्सचेंज वाले लोगों को रोकने के लिए क्या करते हैं । मैं मुख्य मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इंडियन कांस्टीच्यूशन के मुताविक हरियाणा के बाहर के लोगों को हरियाणा की सर्विस करने से. रोका जा सकता हे?

मुथ्य मन्त्री : जी नहीं ।

श्री दया कृष्ण : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जब तक सैटूंल गवर्नमेंट के साथ स्कीम मैच्योर नहीं होती, तब तक हरियाणा के आदमियों कौ भर्ती करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी या कदम उठाने की कोशिश करेगी?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब, इसके बारे मैंने प्रार्थना की हूँ कि पिछग्रे कुछ दिनों से हमने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लायमेंट एक्सचेंज से नाम से शुरू किए है' ।

चौधरी नारायण सिंह : स्पीकर साहिब, जो नाम एम्परालमेंट एक्सचेंजीज से आते है' या एम्प्लायमेंट एक्सचेंजीज जिन नामॉ को भेजती हैं वे तो एम्प्लायर द्वारा भेजी गई रिक्वीजिशन्ज की कंडिशन्ज के मुताबिक होते है' । तो क्या चीफ मिनिस्टर साहिब, यह वताएंगे कि उन रिक्वीजिशन्ज में हरियाणा के रहने वालों को प्रेफरैन्स दी जाती है?

मुख्य मन्त्री : कायदे कानून की रू से, स्पीकररू साहिब, हम हरियाणवी और नान– हरियाणवी में फर्क नहीं रख सकते ।

Khan Abdul Ghaffar Khan : Supplementary Question, Sir.

Mr. Speaker : Khan Sahib, I am sorry, the Question Hour is over now.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

Starred Question No. 301

Mr. Speaker : Extension has been asked for in respect of Starred Question No. 301. It is, therefore, postponed.

Setting up of a Committee to celebrate Gandhi Centenary

***254. Shri Mangal Sein** : Will the Chief Minister be pleased to state whether any Committee has been set up to celebrate the Gandhi Centenary during 1968-69; if so, the names of the members of that Committee and the basis on which the said Committee was constituted?

Shri Bansi Lal : Yes. A copy each containing the names of the members of the three committees constituted in this behalf is placed on the table of the House (Annexure I to III.)

2. These committees have been constituted on the basis that all sections of the Public should be associated with the work.

ANNEXURE I

List of members of the Haryana State Gandhi Centenary Celebrations Committee

1. Governor of Haryana, President.

2. Chief Minister of Haryana, Vice-President.

3. Prof. Sher Singh , Minister of State for Education, Government of India.

4. All Cabinet Ministers of Haryana.

5. Shri Bhim Sen Sachar, 47, Sector 4, Chandigarh.

6. Smt. Lekhvati Jain, Deputy Speaker, Haryana Vidhan Sabha.

7. Shri Dalbir Singh, M.P.

8. Shri Rani Kishan Gupta, M.P.

9. Rajkumari Sumitra Devi, M.L.A.

10. Shri Daya Krishan, M.L.A.

11. Smt. Chandravati, M.L.A.

12. Shri Ranbir Singh, M.L.A.

13. Khan Abdul Ghaffar Khan, M.L.A.

14. Shri Saroop Singh, M.L.A.

15. Shri Ram Saran Chand Mittal, M.L.A.

16. Smt. Prasanni Devi, M.L,A,

17. Shri D:C. Verma, Vice Chancellor, Kurukshetra University,

18. Shri Mani Ram Godara, Chairman, Zila Parishad, Hissai.

19. Shri Devi Lal, village and post office Chotala, district Hissai:

20. Shri Moo! Chand Jain, Advocate, Kamal.

21. Shri Siri Ram Sharma, Kath Mandi, Rohtak.

22. Smt. Prabhat Shobha Pandit, 7, Hastings Road, New Delhi.

23. Dada Ganeshi Lal, Sarvodaya Bhawan, Mandi Road, Hissar.

24. Shri Om Parkash Trikha, Chairman, Gandi Samarak Nidhi, Sector 16, Chandigarh.

25. Bibi Amtus Salam, Kasturba Seva Mandir, Rajpura, District Patiala.

26. Shri Bhim Sen Vedalankar, Nideshak, Khadi Gramudyog Commission, Ambala Cana.

27. Smt. Subhashni, village and post office Khanpur, tehsil Gohana, district Rohtak.

28. Shri Ram Chand Singhal.

29. Smt. Shakuntala Devi, village and post office Mani Majra, district Ambala.

30. Shri Attar Singh Khatta, Harijan Ashram, Rohtak.

31. Acharya Bhagwan Dev, Gurukul, tehsil Jhajjar, district Rohtak.

32. Shri Chattar Singh Parcha, President , Sweepers' Union, Panipat, district Karnal.

33. Master Nanu Ram, village and post office Jasrana, district Rohtak.

34. Shri Devi Singh Tewatia, Bar-at-Law, Sector 11, Chandigarh.

35. Shri Ram Kishan, Advocate, Jind.

36. Shri Som Datt Vidyalankar, Secretary, Khadi Ashram, Panipat, district Karnal.

37. Shri Satya Parkash Sharma, Secretary, Gandi Samarak Nidhi, pattikalyana, district Karnal.

38. Dewan Dwarka Khosla, Sonepat, district Kama',

39. Director, Public Relations, Haryana, Secretary.

ANNEXURE II

List of members of the Executive Committee constituted under the Haryana State Gandhi Centenary Celebrations Committee

1. Chief Minister of Haryana
Chairman

2. Smt. Om Prabha Jain, Finance Minister, Haryana Vice- Chairman

3. Shri Bhim Sen Sachar, Sector 4, Chandigarh
Member

4. Shri Dalbir Singh, M.P., 56, South Avenue, New Delhi
Member

5. Shri Ram Saran Chand Mital, M.L.A. Do

6. Shri Ranbir Singh, M.L.A. Do

7. Shri Rup Lal Mehta, M.L.A.
Do

8. Rajkumari Sumitra Devi, M.L.A. Do

9. Khan Abdul Ghaffar Khan, M.L.A.
Do

10. Shri D.C. Verma, Vice-Chancellor, Kurukshetra University
Do

11. Shri Om Parkash Trikha, Chairman, Gandhi Samark Nidhi, Sector 16, Chandigarh
Do

12. Shri Mani Ram Godara, Chairman, Zila Parishad, Hissar
Do

13. Bibi Amtus Salam, Kasturba Sewa Mandir, Rajpura,

districtPatiala Do

14. Shri Bhim Sen Vedalankar, Nideshak, Khadi Gramudyog Com - mission, Ambala Cantt. Do

15. Shri Devi Lal, village and post- office Chotala, district Hissar

Do

16. Dada Ganeshi Lal, Sarvodaya Bhawan, Mandi Road, Hissar

Do

17. Smt. Prabhat Shobha Pandit, 7, Hastings Road, New Delhi Member Secretary

ANNEXURE III

List of Members of the Haryana State women and Children's Sub-Committee for Gandhi Centenary Celebrations Committee

1. Smt. Om Prabha Jain, Finance Minister, Haryana Chairman

2. Rajkumari Sumitra Devi, M.L.A.

Member

3. Smt. Chandravati, M.L.A. Do

4. Smt. Prasanni Devi, M.L.A.

Do

5. Smt. Lakshmi Devi, Railway Road, Rohtak

Do

6. Smt. Subhashni, village and post-office Khanpur, tehsil

Gohana, district Rohtak Do

7. Smt. Shakuntla Devi, village and post-office Mani Majra,

district Ambala Do

8. Prof. Ujjawala Sharma, Joint Secretary, National Youth

Women Society, Delhi Do

9. Bibi Amtus Salam, Kasturba Sewa Mandir, Rajpura, district

Patiala Do

10. Smt. Shanti ji, c/o Bibi Amtus Salam, Kasturba Sewa

Mandir. Rajpura district Patiala Do

11. Smt. PrabhatShobha Pandit, 7, Hastings Road, New Delhi

Convener

Police Force and Crimes in Mahendergarh District

***191. Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) rank-wise strength of Police Force and the position of Crime in Mahendergarh District-

(i) at the time of merger of Pepsu into Punjab in 1956; and

(ii) at the time of the formation of the State of Haryana in 1966 ; and

(iii) the position at the end of 1968 ;

(b) if the position of Crime is on the increase, reasons for not raising the strength of the Police accordingly ?

श्री बंसी लाल : (क)

कुल अपराध

(1) 1956 में स्थायी, कर्मचारियों की संख्या– 215

पुलिस अधीक्षक	1
निरीक्षक	1
अभियोजन निरीक्षक	1
उपनिरीक्षक	12
अभियोजन उप–निरीक्षक	1
सहायक उप–निरीक्षक	19
हवलदार	54 तथा
सिपाही	354

(2) हरियाणा राज्य बनने के समय पुलिस कर्भचारियो की संख्या– 561 स्थायी––

पुलिस अधीक्षक	1
अभियोजन निरीक्षक	1
निरीक्षक	1
उप–निरीक्षक	12
अभियोजन उप–निरीक्षक	1
सहायक उप–निरीक्षक	15
हवलदार	54 तथा
सिपाही	356

इसके अतिरिक्त अस्थायी पुलिस कर्मचारी––

उप–अधीक्षक पुलिस	1
निरीक्षक	1
उप–निरीक्षक	2
सहायक उप–निरीक्षक	9
हवलदार	21 तथा

सिपाही 93

(त) 1968 के अन्त में पुलिस कर्मचारियों को संख्या– 761

स्थायी–

पुलिस अधीक्षक	1
निरीक्षक	1
अभियोजन निरीक्षक	1
उप–निरीक्षक	13
अभियोजन उप– निरीक्षक	1
सहायक उरा–निरक्षक	13
हवलदार	36 तथा
सिपाही	364

इसके अतिरिक्ति अस्थायी पुलिस कर्मचारियों की संख्या–

उप–अधीक्षक पुलिस	1
निरीक्षक	1
उप निरीक्षक	2
सहायक उप–निरीक्षक	1

हवलदार 16 तथा

सिपाही 56

(ख) पंजाब पुलिस नियमावली, 1934 के पुलिस नियम 2.2 (3) के अनुसार देहाती थाने के पुलिस कर्मचारियों की संख्या घटित अपराधों की संख्या पर आधारित होती है । आम थाने में वर्ष में दर्ज केसों की संख्या 75 हौती है जिस के लिए सहायक निरीक्षक 1 सहायक उप–निरीक्षक 1 हवलदार 1 और 12 सिपाहियों का न्यूनतम अमला मंजूर होता हूँ । थानों और जिला पुलिस को अन्य शाखाओं के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या दर्ज किये जाने वाले अपराधी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त '' ।

Murder of a Harijan Girl

***302. Chandhry Banwari Ram** : Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a Harijan girl of village Kharak Punia, tehsil Hansi, district Hissar, was alleged to have been murdered by some persons belonging to Swaran Jatis' in 1966, after committing a rape with her; if so, whether the culprits in the said case have been arrested so far ; if not, the reaons therefor ;

(b) whether any action has been taken against the police officials for their failure to trace out the culprits involved in the said case ; if not, the reasons therefor ;

(c) the details of the efforts so far made to trace

out the culprits ?

Shri Bansi Lal : (a) No murder of any Harijan girl of village Kharak Punia took place in 1966. However, a Harijan girl of this village was murdered in 1965 ;

(b) Culprits have not so far been arrested, as vigorous efforts made have failed to trace the case.

(c) As genuine and vigorous efforts have been made by various officers including Gazetted Officers to trace the case, no action has been taken against any Police Officer for the failure to trace the case. However, departmental proceedings were initiated against S.I. Rain Rang, S.H.O., Narnaund, and A.S.I. Shiv Charan Dass for delay in registeration and investigation of the case. The enquiry against the A.S.I. is still pending while the Si. has since retired.

(c) Special Staffs were formed and the case was investigated by a number of Gazetted Officers under the specific instructions of S.Ps. The case is still under investigation.

Arrest of S.H.O., Police Station Meham, District Rohtak

***258. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state whether S.H.O., Police Station Meham, district Rohtak, was arrested during the year 1968; if so, the section under which he was arrested together with the nature of complaint against the said official and the present stage of the case ?

Shri Bansi Lal : S.H.O., police station Meham, district Rohtak, was arrested on 24 25th September, 1968, under section 5(2)47, Prevention of Corruption Act, for allegedly

taking illegal gratification of Rs 10,000 from Jagrup Singh for showing favour to his brother Bharpur Singh who was involved in a robbery case of P.S. Meham, The case is pending trial in the court of District and Sessions Judge, Rohtak.

Firing in village Siwan, tehsil Kaithal, district Karnal

***217. Shri Randhir Singh :** Will the Chief Minster be pleased to state the reasons for resorting to firing by the police at the innocent Harijans in village Siwan, tehsil Kaithal, district Karnal at 5. a.m. on 30th December, 1968, together with the action taken against those officials who abused their powers ?

Shri Bansi Lal : A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

On 30th December, 1968 a police party was sent to village Siwan to effect arrest of persons wanted in connection with a case F.I,R. No. 284 , dated 29th Decemberr, 1953, under section 332/353/427/506/148/149 IPC, police station Kaithal. As soon as the police entered thevillage a mob of 300/400 persons armed with jellies and lathies pelted stones on police and physically lifted Const. Om Parkash , No. 1012. Ujagar Singh, from amongst the crowd made a murderous assault on A.S.I. Harnam Singh with jelly who suffered injuries on head and hand. Consts. Buta Singh and Bansi Lal apprehending imminent danger to the life of A.S.I., fired from their service rifles Ujagar Singh was hit by a bullet and later succumbed to his injuries in the hospital at Karnal. A Magisterial enquiry has since been ordered and in case any officer is found guilty of abusing his powers he will be dealt with suitably. A private complaint under section 302 I. P.C.

has also been filed by the brother of the deceased Ujagar Singh, hence the whole matter is sub-judice.

Transfer of Teachers

***271. Chaudhry Chand Ram :** Will the Chief Miniter be pleased to state—

(a) the number of teachers of different categories, district-wise, who were transferred in the year 1968 in the State ;

(b) the total amount of T.A. so far paid or is still to be paid to the teachers as a result of the said transfers ?

Shri Bansi Lal : (a) The figures are as under :—

(i)	Ambala	2,465
(ii)	Karnal	3,560
(iii)	Hissar	3,402
(iv)	Jind	1,354
(v)	Mohindergarh	2,371
(vi)	Gurgaon	3,685
(vii)	Rohtak	5,202

(b) About Rs 11.24 lakhs.

Harijan Co-operative Development Finance Corporation

***270. Chaudhry Mind Ram:** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) the date when the Harijan Co-operative Development Finance Corporation was registered and the amount allocated for it in the Budget Estimates passed by the Haryana Assembly in June, 1967 ;

(b) the time by u hich the above-mentioned Corporation is likely to start functioning ;

(c) a copy of the bye-laws, if any, framed by the said Corporation be laid on the Table of the House ?

Shri Bansi Lal : (a) (i) 30th March, 1967.

(ii) No amount was allocated for the Corporation in the Budget Estimates passed by the Haryana Assembly in June, 1967. It was, however, announced by the Finance Minister in the Budget Speech that loan of Rs 47.50 lakhs and share capital of Rs. 5 lakhs will be given to the Corporation set up by the Department of Social Welfare and Backward Classes, Haryana. Rs 27.50 lakhs were included in the Supplementary Estimates of 1967-68.

(b) Not known to Government, as it is a Co-operative Society in which Government does not hold any shares.

(c) The Corporation is a private body registered under the Cooperative Societies Act and hence it is not the concern of Government to place a copy of its bye-laws on the table of the House.

UNSTARRED QUESTION AND ANSWER

Labour and Construction Co-operative Society

105. Shri Daya Krishan : Will the Minister for Health be pleased to state--

(a) whether Government is aware of the fact that most of the Labour and Construction Co-operative Societies in Haryana are bogus ones;

(b) whether such Societies functioning in district Jind are also bogus ones,

(c) whether any complaint was made to the District Grievances Committee, Jind, by one Shri Kalyan Saroop Meghan, Contractor alleging such societies functioning in district Jind as bogus ones;

(d) whether any enquiry on the basis of the said complaint has been made ; if so, with what result; if not, whether Government intend to hold enquiry thereon.

चौधरी खुरशीद अहमद : (ए) नहीं जी ।

(दी) नहीं जी ।

(सी) जी ही ।

(डी) पूछताछ को गई थी औररू उसकी शिकायत वेंबुनियाद साबित हुई ।

RULING BY THE SPEAKER

Mr. Speaker : On 7th February, 1969, I had reserved my Ruling on two points of order raised by Chaudhry Ranbir Singh, M.L.A. and Rao Birender Singh, M. L. A.

The point of order of Chaudhry Ranbir Singh was whether privilege motion could be brought with regard to the cases which would go to the court of law; and the other point of order raised by Rao Bi irendar Singh was whether the Ruling given by the Chair could be questioned by a Member.

As regards the point of order raised by Chaudhry Ranbir Singh,

M.L.A., I refer to a Ruling givenMysore Legislative Assembly in March, 1958. Shri S. R. Kanthi, the Speaker, had observed that "if the matter goes to the court of law tomorrow, it cannot be subjudice today".

In the light of the aforesaid Ruling, I hold that matters which are not subjudice today can be referred to the Committee of Privileges.

As regards point of order raised by Rao Birender Singh, M.L.A. I, observe that it is a well established parliamentary convention that Speaker's Rulings cannot be questioned except on a substantive motion. (Thumping from the Opposition Benches)

चौधरी रणवीर सिंह : ओन ए प्वायंट आफ क्लैरिफिकेशन सर । अध्यक्ष महोदय, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न किया था उसमें बिल्कुल पक्के तौर पर यह कहा था कि जो पहले अदालत में केस चला गया हो उस केस को क्या प्रिवलेज कमेटी को दिया जा सकता है?

Mr. Speaker : Chaudhri Sahib, we have a copy of your

observations made on that day, here and if you can kindly see me in my Chamber, will show you the same.

राव वीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, ओनरेबल मैम्बर को याद नहीं । मं' इन्हें याद दिलाना चाहता हूं । श्री जोगिन्द्र सिंह के मामलेमें जो अभी कोर्ट में नहीं गया इन्होंने यह सवाल किया था ।

Mr. Speaker : Anyway, we can discuss it.

चौधरी रणबीर सिंह : उसी सिलसिले में मैंने याद दिलाया था कि पहले पुलिस में रिपोर्ट हो चुकी हैँ । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के मायने ही अदालत में जाना हे । (विध्न) हसके वारे में तो आप स्पीकर साहिब की राय भी पूछ सकते है' ।

QUESTION OF PRIVILEGE

reg. the alleged kidnapping of Shri Joginder Singh M.L.A.

Mr. Speaker : I have received notice of breach of privilege motion from Dr. Mangal Sein, M.L.A., which reads as follows:

"Shri Joginder Singh, an honourable Member of this House was forcibly kidnapped in a closed car by Sarvshri Zile Singh and Nanak Chand Chopra, C.I.D. Inspector with the help of some other persons in the afternoon on Friday the 31st January, 1969. His whereabouts are not known so far (Now of course he is here.) His father-in-law and his borther-in-law from sisters' side and other members of his family have not been able to find him out. A report to this effect has been lodged with the Chandigarh Police. Shri Joginder Singh has been forcibly kidnapped from the M.L.As. Hostel. Chaudhry

Chand Ram and Chaudhry Partap Singh, the honourable Members of this House are the eyewitnesses of this incident. Thus a breach of privileges of the House has been committed. I want to raise this matter through this motion. This matter may be referred to the Committee of Privileges and the offenders be punished ."

On 5th February, 1969, I reserved my decision on this notice of privilege motion and called for the comments of the Government. I have now received the comments of the Government. The Government has denied that Shri Joginder Singh, M.L.A. was forcibly kidnapped in a closed car by Inspector (C.I.D.) Zile Singh and Sub-Inspector Shri Nanak Chand Chopra with the help of some persons in the afternoon of Friday, the 31st January, 1969. However, a case F.I.R. No. 80, dated the 3rd February, 1969, under section 365 of the Indian Penal Code has been registered at Central Police Station, Chandigarh, on a complaint of Shri Mange Ram, father-in-law of Shri Joginder Singh, M.L.A. The absence of Shri Joginder Singh, M.L.A., caused a stir in the House as a result of which a deadlock had arisen. To solve the deadlock, a meeting was held in myChamber with the Leader of the House and other threeMembers from the Treasury Benches and the Leader of the Opposition and other leaders of the parties. On 6th February, 1969, as agreed in the meeting, I announced in the House that the privilege motion c n the alleged abduction of one of the Members will be referred to the Privileges Committee. I am of the opinion that prima facie a case has been made out as the Member could not participate in the proceedings of the House and as such discharge his duties as a Member of this August House. I, therefore, hold this motion

in order and refer it to the Privileges Committee to examine this matter in all its implications subject to the rule of subjudice and submit its report by 31st March, 1969. (Thumping from the Opposition Benches.)

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Call Attention Motion No. 17, given notice of by Shri Daya Krishan, M.L.A., regarding the sale of certain types of tractors by private agencies at very high prices is disallowed on the ground that on 7th February, 1969, the Government had already replied to starred question No. 143 of the Member on the same subject.

Call Attention Motion No. 18, given notice of by Shri Daya Krishan, M.L.A. regarding the harassment caused to the school children by the denial of free lift in Government buses is disallowed as the matter is not of urgent nature but of a routine nature.

On 6th February. 1969, the hon. Minister for Irrigation and Power had promised to make a statement on Call Attention Motion Nos. 11 and 12 today, the 10th February, 1969.

The hon. Members may please read their Call Attention Notices, then the hon. Minister may kindly make the statement today.

Rao Birender Singh (Ateli): Sir, I beg to draw the attention of the Government to unprecedented failure of power supply to agriculturists resulting in huge individual and national losses which are likely to seriously affect the economy of this famine-stricken State.

With the advent of electricity in the field of agriculture thousands of farmers have changed over to power for irrigation from wells and tube-wells. The failure of winter rains made the rabi sowing completely dependent on power supply in areas not served by canals. The irregular supply of power during the sowing period with frequent break downs and low voltage did not allow more than hardly 50 per cent of the rabi crop to be sown and increased the cost of production by 100 per cent. Daily power failures and a very low voltage are further ruining the farmers and there seems to be no prospect of improvement. On the other hand the situation is likely to deteriorate as the crops are near maturity. The situation is extremely serious and calls for special attention and efforts of Government to save Haryana farmers and industrialists from ruin through a severe famine.

Mr. Speaker : Reply to Call Attention Notice by Shri Daya Kristian (No. 12) would also. I think, be covered by the statement on Call Attention Notice No. 11.

Public works Minister (Shri K. L. Powal):

The Board is aware of the failure of power supply to the agriculturists and the consequent loss. To avoid overloading which causes failure of electricity, the existing sub-station capacities are being augmented and more lines and sub-stations are being put up. The following sub-stations have already been' augmented during the current financial year :—

(1) 33 KV sub-station, Naraingarh,

(2) 33 KV sub-station, Ladwa.

(3) 33 KV sub-station, Kaithal.

(4) 33 KV sub-station, Rewari.

(5) 33 KV sub-station, Jind.

(6) 33 KV sub-station, Palwal.

(7) 33 KV sub-station, Fatehabad.

(8) 33 KV sub-station, Tohana.

(9) 33 KV sub-station, Sirsa.

(10) 33 KV sub-station, Digwan Jattan.

(11) 33 KV sub-station, Bhadara.

(12) 33 KV sub-station, Yamunanagar

(13) 33 KV sub-station, Karnal.

(14) 132 KV sub-station, Dadri.

The following new sub-stations have been energised:—

(1) 132 KV sub-station, Sonepat,

(2) 132 KV sub-station, Rohtak.

(3) 132 KV sub-station, Jind.

(4) 66 KV sub-station, Pipli.

(5) 33 KV sub-station, Jui.

(6) 33 KV sub-station, Bhadra.

(7) 33 KV sub-station, Chhachrauli.

(8) 33 KV sub-station, Tajewala.

(9) 33 KV sub-station, Kurukeshtra University Campus.

(10) 33 KV sub-station, Gohana.

(11) 33 KV sub-station, Barara.

The following sub-stations are proposed to be erected : -

(1) 132 KV sub-station, Pinjore.

(2) 132 KV sub-station, Sirsa.

(3) 132 KV sub-station, Kaithal .

(4) 132 KV sub-station, Narwana.

(5) 132 KV sub-station, Mohindergarh.

(6) 66 KV sub-station, Palwal.

(7) 66 KV sub-station, Sohna.

(8) 66 KV sub-station, Ghrounda.

(9) 66 KV sub-station, Radaur.

(10) 33 KV sub-station, Siwani.

(11) 33 KV sub-station, Tosham.

(12) 33 KV sub-station, Dabwali.

(13) 33 KV sub-station, Kalan Wali.

(14) 33 KV sub-station, Jag-Malera.

(15) 33 KV sub-station, Narnaud.

(16) 33 KV sub-station, Kurali

(17) 33 KV sub-station, Hodel.

(18) 33 KV sub-station, Nilokheri.

(19) 33 KV sub-station, Pehowa.

(20) 33 KV sub-station, Nissan

(21) 33 KV sub-station, Smalkha.

(22) 33 KV sub-station, Kharkhoda.

The following sub-station s are proposed to be augmented:—

(1) 33 KV sub-station, Sadhaura.

(2) 33 KV sub-station, Jhajjar

(3) 33 KV sub-station, Sohana.

(4) 33 KV sub-station, Tauru.

(5) 33 KV sub-station, Barwala.

The supply position has definitely improved on account of the various remedial measures adopted, such as augmentation of sub-station capacities and laying of new high tension and sub-transmission systems in the State.

The State Electricity Board launched a crash programme of tube-well connections with a target of 15,000 tube -well connections which has since been achieved. It is a commendable effort, but for which agricultural produetion in

the State would have suffered much more particularly on account of failure of rains.

The supply position has improved to a great extent with the energisation of 220 KV sub-station at Ballabgarh from where Haryana is utilising its share of thermal power from I.P. Station, Delhi. Another 220 KV sub-station is being energised at Hissar on

16th February, 1969, which will give considerable relief of load on the existing 220 KV double circuit Ganguwal-Delhi line and will also internally improve the voltage in the State as a whole.

Shri Daya Krishan : I draw the attention of the Government to the failure on the part of the electricity department, for not providing Transformers to the sub-stations, due to which electric connection to the numerous tube-wells are not given in spite of the fact, that the test reports have been given to the electricity department, and thereby crops suffer for lack of adequate water.

There is a great resentment amongst the cultivators against this failure of the Government. The House be informed of the number of Transformes, which have burnt in 1968-69, number of transformers, which are required at present, and the time, by which the same will be supplied.

Jind sub-station is also affected due to the non-supply of transformer and the time by which the same will be supplied to said Sub-station.

Through this call attention motion. I draw the attention of the

Government that very immediate and early action is required in the matter and specially due to the failure of the rains.

It is further requested that this call attention motion be given top priority and may kindly be taken up in the House,

Public Works Minister (Shri K.L. Poswal) : (1) The Board is aware of the fact that the tubewell connections are held up at certain places for want of transformers. For energisation of tubewells in respect of which test reports have been received, 1,700 transformers are required out of which, the supply of 1,713 transformrers is expected to be received in instalments during the next two to three months, against purchase orders already placed.

2. The total number of damaged transformers during 1968-69 uptodate is 287 and these are being repaired in the departmental workshops. The damaged transformers are replaced immediately by new transformers.

3. One transformer of 4.8 MVA capacity has already been erected and energised at Jind. Another transformer of similar capacity will be installed at Jind after the same is dismantled from Hansi for which a higher capacity transformer has already been ordered.

QUESTION OF PRIVILEGE

reg. leakage of budget for the year 1969-70

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब मेरी एक प्रीविलिज मोशन थी । उसमें मैने लिखा था कि आज सुनते हैंकि बजट पेश होने वाला है । बजट पेश होने से पहले ही प्रताप अखबार में, जो जालन्धर से

निकलता है, लिखा हे कि आज दो करोड़ घाटे का हरियाणा सरकार बजट पेश कर रही है । क्या मन्डी महोदया ने इस अखबार को कोई खबर दी है और साथ में आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि यह मोशन एडमिट हुई है या नहीं ।

Rao Birender Singh : That amounts to leakage of Budget.

Mr. Speaker : Your privilege motion was received at 13.20 hours today. It is being examined and what you say is correct or otherwise, the Budget will prove. We shall know that from the Budget.

Now. the Finance Minister will present the Budget.

POINT OF ORDER

reg. presentation of budget for the year 1969-70

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब मेरा प्वयांट आफ आर्डर है । स्पीकर साहिब, जिस तरीके से यह बजट आज हाउस के सामने रखा जा रहा है । यह तरीका बिल्कुल अनप्रसिडेण्टिड, अन–कांस्टीच्चूशनल है । मैं जानता हूं कि ये इस बात की आड़ लेंगे कि फाइनेंशियल बिजनिस को हाउस में किस तरह से रखा जाये, इसको रेगुलेट करने के लिए हमारे रूल के अन्दर कोई स्पंसफिक प्रोविजन नहीं है लेकिन आप ये मानेंगे कि जहां इस किस्म के प्रोविजन नहीं तो जो हमारे पार्लियामैटं की प्रैक्टिस है, कनवैनशन्ज हैं उनके अनुसार चलना चाहिए । आज तक कभी किसी स्टेट मै इस तरह से बजट नहीं रखा गया । पार्लियामैंट में

पन्द्रह रोज पहले गवर्नमैटं को नोटिस देते हैं, सैकीटेरीयेट को कि हम फलां तारीख को बजट रखना चाहते हैं । स्पीकर डेट अप्रूव करता है । डेट अप्रूवल के बाद बजट की अप्रूवल राड़पति से होती है । फिर उस के बाद बजट पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है । यहां पर शनिचर के दिन तक हमें यह पता ही नहीं है कि बजट पेश होना है और आज तक पता नही है । यहां आने के बाद नोटिस मिलता है कि आज बजट पेश किया जा रहा हैँ । फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा बजट स्पीच पढने के लिए जा रही हैं । स्पीकर साहिब जिस स्रपटिशियस तरीके से यह बजट रखा जा रहा है यहां हाउस में, जैसे तरीके अपनाये जा रहे हैं, हरियाणा की जनता के साथ बे–इन्साफी ह । स्पीकर साहिब बजट के लिए सारी पार्लियामैट की प्रैकटिस ओबजरव होनी चाहिए । इसके इलावा इन्होने यह बजट' काफी सोच–समझ कर रातों रात तैयार करके पेदा किया है क्योंकि चार मैम्बर हाउस से निकल गये । इन्होंने इस मौके का फायदा उठाया । स्पीकर साहब हमें सब से बड़ा अफसोस तो इस बात का है कि 12 तारीख तक यह सैशन था परन्तु अभी तक इस हाउस में कोई विजनैस एडवाइजरी कमेटी ही नहीं है जिसके कारण अपोजीशन को तो अपने हकूक से महरूम रहना पड़ रहा है । उसको पता ही नहीं लग रहा है कि हाउस में क्या .हौ रहा है । 12 तारीख तक के लिए हमें हुक्म–नामा मिलता ह कि यह प्रोग्राम है और इसमें बजट के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है । स्पीकर साहब इस तरह से सैशन को बजट सैशन में चेंज करना यह अपोजीशन के साथ ही नहीं

हरियाणा की जनता के साथ एक बहुत बड़ा धक्का है । यह सरकार क्या डिवैल्पमैट करेगी । अगर आप इनको इजाजत दे दें, अपने नये रूल्ज से, नयें प्रोसीजर अडोप्ट करने की तो ये हरियाणा को खत्म कर देंगे । यह जो तरीके अपनाये जा रहे हैं उस तरह इनको तो यह स्टेट रूल करने का कोई हक नहीं है । आपने अभी फरमाया कि यह क्या हुआ? स्पीकर साहब ये रूलों को क्यों इग्नोर कर रहे है मैं आपकी रूलिंग चाहुंगा । आपका हुक्म चाहते हैंकि जो तरीके इन्होंने अपनाये हैं उसकी बैकग्रांउड है । पहले इन्होंने एक मैम्बर को निकाला फिर चार आदमियों को निकाल दिया यानी स्पीकर साहिब ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलेगी कि चार चार आदमियों को अपनी मेजोरिटी वनाने के लिए निकाला गया हो । यहां इसी तरीके सै हुआ और स्पीकर साहिब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ।जेस तरॉके से यह आपस की बातचीत हुई डैडलाक खत्म होने के लिये उस में यह अंडरसटैंडिग थी कि कोआप्रेशन से काम हो अपोजिशन अपना काम करे और सरकार अपना काम करे अगर सरकार के पास ताकत है तो–

मुख्य मंत्री : स्पीकर साहिब, राव साहिब प्वायंट आफ आर्डर पर बोल रहे हैं तो क्या तकरीर हो सकती है?

राव बीरेन्द्र सिंह : प्यायट आफ आर्डर पर कुछ बताऊं तो सही ऐकसपलेन करने के लिए स्पीकर साहिब को सारे मामलात–

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहिब इन्होंने खुद माना जै कि सारी गलती अपोजिशन की थी अगर यह इन्साफ पसंद होते तो यह– (विध्न) –

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर उन चार मैम्बरों को नहीं आने देंगे तो मैं मानता हूं कि सारी अपोजिशन की गलती थी और लीडर आफ दी अपाजिशन की सब से बड़ी गलती है––– (गिन) आप तो पार्लियामैंटरी प्रैक्टिस ऐप्रीशिएट नहीं कर सकते हैं । आपको क्या मालूम कि गलती मानना क्या होता है और स्पीकर साहिब, का द्रुक्म मानना क्या होता है? आपकी अपील आई तो हम ने आपकी अपील को माना और सच्चे दिल से माना और नदामत का इजहार किया हांलाकि हमारा कसूर नहीं था और साबित हो गया कि जब एक मैम्बर आया जिसे अगवा किया गया– (विघ्न)– स्पीकर साहिब आपकी अपील के बावजूद इन की तरफ से कोई जैसचर नहीं यह तो चेयर की भी तोहीन है । पहले फायदा उठा कर फिर धक्का स्पीकर साहब–

चौधरी रणबीर सिंहः यहां का इतिहास है स्पीकर साहिब पांच मिन्ट में बजट पास हुआ था जिस वक्त राव साहिब मुख्य मन्त्री थे – (शोर) – राब साहिब ने अपनी गलती सव से बड़ी मानी थी (विध्न) ।

राव बीरेन्द्र सिंह : चौधरी साहिब, आप तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया करते हैं आप बीच में कैसे कूद पड़े (हंसी) जब में' बोल

रहा हूं । स्पीकर साहिब, जिस तरीके से यह डबल माचे, कर रहे हैं वह भी आप देख लें एक एक दिन. में दो दो सिटिंगज कर रहे हैं । अब जो प्रोग्राम मिला है आज तो बजट ही पेश करेंगे और आगे 11 तारीख' डबल सिटिंग, 12 तारीख को डबल सिटिंग और 1 न तारीख को फिर डबल सिटिंग रखी है, डीमांड्ज पास और सारा मामला साफ ।

आवाजें : क्या बुराई है ? (शोर)

राव बीरेन्द्र सिंह : कोई बुराई नहीं बुराई तो सिर्फ इतनी है कि आप हरियाणा के लोगो के साथ और हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी के साथएक बहुत बड़ा फराड कर रहे हैं और कोई बुराई नहीं (शोर) । साहिब साहिब मैं आपकी मारफत बता दूं कि यह हरियाणा में ही नहीं सारे हिन्दुस्तान में डैमोक्रेसी की पीठ में छुरा घोंप रहे है', सटैब कर रहे है' । अगर यह समझते हैं कि यह हथकंडे इनको ही आते हैं तो बड़े नादान हैं यह बेचारे (शोर) जो रूल आपने बनाए उन रूलों पर खेल पहले हुआ और बाद में एक नया रूल और बना है कि मैम्बरों को बाहर निकाल कर भेज दो । याद रखो यह रूल कांग्रेस की जड़ें खोखली ही नहीं कर देगा बल्कि गाड देगा जमीन के अन्दर ।

(At this stage Chaudhry Ranbir Singh rose to speak)

Mr. Speaker : Let us hear him first. We will give you time later.

राव बीरेंन्द्र सिंहः यह बार बार कहते हँ' कि हमने यही तरीका अपनाया । अगर हम यह तरीका अपनाते और इस तरह कांग्रेसी मैंबरों को बाहर निकाल कर फैंक देते तो न यह मिड टर्म इलेक्शन होने थे और न चौधरी बंसी लाल ने यहां बैठना था – (शोर) –. इन्तजार करो हरियाणा का ही सवाल नही आपके इन तरीकों से हिन्दुस्तान में क्या होता है इसका इन्तजार करो । इसमें आपका बड़ा नाम बनेगा । अपने कांग्रेसी नेताओं से पूछ लेना कि इसका क्या नतीजा निकलता है । स्पीकर साहिब मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि आप इस बजट को इस तरीके से पास करने की इनको इजाजत न दें .यह गलत प्रैक्टिस है और यह प्रोसीजर गलत है । हमारे चार मेम्बरों की गैर हाजरी का फायदा उठा कर कै दिन चलेंगे? अगर आज धक्के से बजट पास करके ले गए तो इन्होंने हरियाणा की जनता पर रूल करने का हक खो दिया और इसके खोखले कलेम का पता लग गया । स्पीकर साहिब हम ऐसे बजट पर एक लफज भी बोल कर शामिल नहीं होंगे – (शोर)– हमने पांच मिनट में किया आप एक मिनट में करें और जब चार मैम्बर हमारे बगैर कसूर बाहर बैठे हों तो हमें मारल राइट नहीं है कि वह बाहर बैठे सजा भुगते और हम यहां बैठ कर आपके साथ वाह वाह करते रहे । (शोर)

You have prepared it overnight. This is no budget. Have you applied your mind brain ? What is this budget ?

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहिब, आज यहां जब मैं हाउस में ऐंटर हो रहा था तो पता लगा तो बड़ी हैरानी हुई कि गवर्नमैटं आज बजट पेश करना चाहती है ———

श्री अध्यक्ष : अखबार में नहीं पढ़ा? (हंसी)

राव वीरेन्द्र सिंह : अखबार तो चीफ मिनिस्टर साहब भी नहीं पढ़ते हम गरीबों को कहां मिलेगा । (हंसी)

मलिक मुख्तियार सिंह : अगर अखबार का हवाला दिया जाता हैतो कहते हैंकि अखबारों पर यकीनन करो । अखबारी बात इस लिये नहीं कहना चाहता था कि वह कहते हैंकि अखबारी लिखी हुई चीजों पर न जाया करो इस लिये यहां आ कर पता लगा । मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह हाउस जिस वक्त सम्मन किया गया उस वक्त राज्यपाल महोदय की तरफ से सम्गन मिले और उसके बाद आपकी तरफ से एजंडा इशु किया गया । उसके मुताबिक जो बिजनैस 10 तारीख के लिये रखा और गवर्नमैटं बिजनैस के लिये जो यह दिन मुकर्रर हुआ उस के अन्दर यह है । I want to draw your attention to Rule 29 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly, which reads

"On days allotted for the transaction of Government business such business shall have precedence and the Secretary shall arrange that business in such order and on such days as the Speaker after consultation with the Leader of the House may determine :

Provided that such order of business shall not be varied on the day that business is set down for disposal unless the Speaker is satisfied that there is sufficient ground for such variation."

एक तरह से मेरी कन्टेन्शन यह है कि इस कल के मुताविक आज 10 तारीख का दिन गवर्नमैट बिजनैस के लिये था और इसभें अब मेरीएशन नहीं की जा सकती । उंसे लीडर आफ दी अपोजिशन ने फरमाया है, मै उन के साथ पूरी तरह इतफाक करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह कन्वैन्शन पहले से चली आ रही है कि हाउस का सैशन शुरू होने से पहले बिजनैस एडवाइजरी कमेटी बनाई जाती है । जुलाई का सैशन हमारा निकल गया । जुलाई सैशन के पहले ही रोज आपने हमें बुलाया था चीफ मिनिस्टर साहिब यहां बैठे थे और हम ने आप से अर्ज किया था कि बिजनैस एडवाजरी कमेटी बना दी जाए क्योंकि डे–टू–डे बिजनैस में वैरीएशन करने के लिये. और टाडम अलाट करने के .लिये यह जरूरी है । हमारे रूल्ज में भी यह प्रोविजन है और आप किसी भी असेम्बली और पालियामैट में देख लें हरेक जगह बिजनैस एडवाइजरी कमेटी होती है और है । हो सकता है स्पीकर साहिब, आपकी अटेनशन आपके आफिस ने इस तरफ इनवाइट न की हो । टूसरे यह कि कमेटी बनाई भी होती और उसका डीसीजन होता तो उसकी वेरीएशन रूल 39 में प्रोवाइड की गई हूँ लेकिन यह यहां पर ऐपलीकेबल नहीं हे । इसके अलावा एक और अर्ज करना चाहता हूं । हाउस कौ सम्मन किया गया और राज्यपाल की तरफ

से सम्मन मिले । उसके बाद राज्यपाल महोदय ने इस असैम्बली को ऐड्रेस किया ।

I want to invite your attention to Artiole 176 to the Indian Constitution, which reads—

"At the commencement of the first session after each general election to the Legislative Assembly and at the commencement of the first session of each year the Governor shall address the Legislative Assembly or, in the case of a State shaving a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons..."

श्री अध्यक्ष : आखिर की लाइन फिर पढिए चौधरी साहिब ।

Malik Mukhtiar Singh : I read again :

"... at the commencement of the first session*****"°of each year the Governor shall address the LegislativeAssembly or, in the case of a State
having a Legislative Council, both Houses assembled together and inform the Legislature of the causes of its summons ."

Article 176(2) says :

"Provision shall be made by the rules regulating the procedure of the House or either House for the allotment of time for discussion of the matters referred to in such address."

Now, Sir, I invite your kind attention to the concluding remarks of the Governor in hi address to the Haryana Vidhan Sabha on Tuesday, the 28th January, 1969, which say :

"You will be considering the supplementary demands for the current financial year and other legislative business. I wish you all success in your deliberations."

इस प्राविजन के लिहाज से यह क्लियर है कि इस सैशन में बजट पेश नहीं किया जा सकता । स्पीकर साहिब, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि यह आप बडे' थाटफुल कंसीड्रेशन के बाद अलाउ करें । हमें डैमोक्रेसी को फार्स नहीं बनाना चाहिए । मुझे पता नही कि यह धक्केशाही कहां तक चलेगी । (इटरप्शन)

यह जो इनकी इनटैन्शन है उसे मै' अच्छी तरह से जानता हूं । मैं दिल्ली गया था वहां पर मुझे पता चला था कि हाइकमाड इनकी मजारिटी नहीं मानता । और जो मैम्बर 6, 6 साल के लिए कांग्रेस से निकाल दिए गए थे उनको अपने साथ बैठा कर यह अपनी मजारिटी साबित करने के लिए किस हाट हेस्ट में यह बजट पास कर देना चाहते हैं, यह मुझे पता है । चौधरी रणबीर सिंह जी कहते हैं किएक आदमी बाहर बैठा हुआ असेम्बली को डिजाल्व करवाना चाहता है लेकिन इन्हें यह भी पता होना चाहिए कि यह इल्लीगल मजारिटी दिखा कर केडिट लेना चाहते हैं । जो मजारिटी है वह तो सबको ही पता है । कुल 37 आदमी हैं । और इस बात को सारा हरियाणा जानता है । यहां इस तरह से बजटपेश करना बिल्कुल अनकांस्टीचुशनल है । इसलिए हमारी जो कंटैशन्ज हैं उन्हें बड़ी कामत्री और कुलली कसीडर करके फिर इन्हें वैसी इजाजत देनी चाहिए ।

चौधरी बनवारी राम (जुडला) : जनाब स्पीकर साहब, मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो बजट पेश किया जा रहा है, यह तो होता ही रहेगा और यह पास होता रहे या न होता रहे, कोई सरकार और बने या न बने लेकिन मैने मुख्य मन्त्री के सामने 4 दफा अपना मांग पत्र पेश किया है । अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला । आप मुझे माफ करना– (इटरप्शन)– जो लड़के और लड़कियां गोलियों से मारे जा रहे हैं उनकी बाबत मैंने 4 दफा मुख्य मन्त्री को मांगपर भेजा कि इस की इनक्वायरी कराई जाए । मगर चौधररूाई बंसी लाल ने मेरे मांग पत्र पर विचार नहीं किया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हेंने रिपब्लिकन पार्टी को मखौल समझ रखा है? मै इतनी बात कहना चाहता हुं. कि 28 तारीख तक चौधरी बंसी लाल जी–– (इटरप्शन)––हमारे मांग पत्र पर विचार करके इन्क्वाआयरी कराए (इटरप्शन) मै इस बात के लिए प्रोटैस्ट करता हूं कि अगर मेरी बात नहीं सुनी गई तो मैं असैम्बली में भी नहीं आऊंगा । इतना कह कर मैं चला ।

(जाते हुए कुछ अपोजिशन के मैम्बरान ने उन्हें रोका) ।

सूबेदार प्रभु सिंह : जनाब स्पीकर साहिब, मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जब एक मैम्बर हाउस से अपनी मर्जी से जा रहा है तो इन मैम्बरान को क्या हक हासिल है कि उसे जाते हुए रोकें जैसा कि मेरे कुछ आपोजिशन के दोस्त कर रहे हैं?

हरिजनों के साथ यह ज्यादती करते हैं और यहां भी इस हाउस के अन्दर ज्यादती हो रही है ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : जनाब स्पीकर साहब, कुछ अपोजिशन के मैम्बरान बनवारी राम केपीछे गए हैं । मुझे डर है कि वह उन्हें उड़ा कर न ले जाएं ।

Mr. Speaker : It is no Point of Order.

(Interruptions)

POINT OF ORDER REGARDING PRESENTATION OF BUDGET FOR THE YEAR 1969-70 (RESUMPTION)

Mr. Speaker : This is a serious day and a serious matter is before the House. Let us, therefore, consider the matter seriously. No body should interrupt.

Shri Roop Lal Mehta : Sir,

Mr. Speaker : Ran Birender Singh has already raised a number of important points. Shri Mangal Sein and Malik Mukhtiar Singh also have raised a number of points. So, if the hon. Member has anything new to say, I will give him two minutes.

Shri Roop Lal Mehta : Let me speak, Sir.

Mr. Speaker : No, please. I will let you speak only if there is anything additional.

Shri Roop Lal Mehta : Nothing new, Sir.

Mr. Speaker : Then, I will not allow you to speak. I have now

to give my ruling.

Shri Roop Lal Mehta : The presentation of the Budget today is unconstitutional and I protest against it.

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब, चौधरी मुख्तियार सिंह ने बड़ी खूबसूरती के साथ आपका ध्यान इस तरफ दिलाया है (व्यवधान)

Mr. Speaker : Incidentally, Dr. Mangal Sein, I want to make an observation. (Interruptions from the Treasury Benches.) There are far too many interruptions from this side of the House today.

Incidentally I may tell Mr. Mehta that sinoe he has joined the S.V.D. now he will not have the privilege of speaking on every issue. (Interruptions).

A Voice . It is not a party in the House.

Mr. Speaker : I am afraid, your letter is with me.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि पार्लियामैंट में क्या प्रैक्टिस है?

On page 546 of the Practioe and Procedure of Parliament by M. N. Kaul/and S. L. Shakdher, First Edition 1968, it is written—

"About a fortnight before the commencement of the Budget Session, the Government forward to the Secretariat a provisional programme of dates for the financial business during the Budget Session including the dates of presentation

of the Railway and the General Budgets. After the Speaker has approved the dates of presentation of the Budgets the approval of the President is sought by the Secretary. After the President has approved these dates, a paragraph to this effect is published in the Bulletin for information of the members."

Mr. Speaker : Dr. Mangal Sein, this is the provision relating to Parliament.

श्री मंगल सैन रू विधान सभा के रूल्ज इस मामले में साईलैटं हैं, नैचुरली हुमने लोक सभा को फालो करना है और जो विधान सभा के रूल्ज है' वे भी मैं आपके सामने पढ़ देता हूं. । रूरल नं. 210 पृ. 96 पर इस तरह है

"210. The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of the State in respect of every financial year (hereinafter referred to as " the Budget") shall be presented on such day as the Governor may appoint."

अब मैं आपकी राय से यह बात कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं किया और निश्चित करने के बाद इस सदन के सदस्यों को इन्फर्मेशन नहीं दी गई लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कि इन्फर्मेशन दी है, बड़े अफसोस की बात है । यह बड़ सीरियस मैटर है क्योंकि जो चार सदस्य सदन से बाहृ निकाले गये हैं उनको अन्दर न लाने के लिए ही सारे रूल्ज को वाइलेट किया जा रहा है । (रूलिंग पार्टी के बैंचिज की तरफ से वाह वाह की आवाजें) स्पीकर साहिब, ये वाह

वाहु की बातों से मुख्य मन्त्री को राजी करना चाहते हैं, आप करते रहें, कांग्रेस पार्टी आप की जान को रोयेगी । आपको पता ही है कि जो इलैक्शन हुए है ' उन में चुनाव के परिणाम निलकने ही वाले हैं, मध्यप्रदेश के परिणाम निकले हुए हैं, वहां भी मेम्बरों को निकाल कर बजट पास कर दिया जायेगा । खैर बजट की तो कोई बात नहीं है, आपको तो रूल्ज को आबजर्ब करना है । स्पीकर साहिब आपकी वडी नोबल ड्यूटी है, आपने इस हाउस का डैकोरम और डिगनिटी मेनटेन करनी है । लोकसभा ने जो प्रोसीजर ले–डाउन किया हुआ है उसको यहां के कई सीनियर मेम्बर जानते है' । मैंने भी चार बार विधान सभा में देखा कि आज तक इस प्रकार बजट पास करने. के लिए रश–थरू नहीं किया गया । मेरी आपसे दुरख्वास्त है कि इस गलत चीज को न होने दें और जो रूल्ज है उन को फालो करने के बाद नैक्स्ट सैशन बु ला ले । जिन चार मेम्बरों को हाउस से सस्पेंड किया गया है सुरस मामले में बहुत कुछ कहा गया है । अगर ये आपकी बात नहीं मानते तो यह आप पर रिपलैक्शन करने वाली बात है । आपका सिंहासन बडा ऊंचा है....

वित्त मन्त्री : स्पीकर साहिब, मैं कुछ कहना चाहती हूं । जो बिजनेस ले किया गया है...

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें मैं बता दूंगा ।

चौधरी रणबीर सिंह : आन प प्वायंट आफ आर्डर, सर । अध्यक्ष महोदय, राव साहिब ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है यह काफी अहम है लेकिन हो सकता है चौधरी मुख्तियार सिंह और डा ० मंगल सैन को शायद यह जानकारी न हो । उन्होंने रूल 210 का जिक्र किया है....

श्री अध्यक्ष : इसका में' जवाब दे दूंगा । It is my business not yours.

चौधरी चान्द राम : स्पीकर साहिब, जो प्रोसीजर पार्लियामट में अबजर्ब किया जात है वह रुल्ज के मातहत है, इसी तरह जो प्रोसीजर हमारे यहां पर है वह भी रुल्ज के मातहत है अगर पालियामेंट में रुल्ज साईलेंट हैं तो पार्लियामैंट पहले हाउस आफ कामन्ज को फालो करती है और पार्लियामेट की प्रैक्टिस में हम उन को रैफर करते है । अगर किसी विधान सभा में कहीं कोई डाउट हो जाये तौ हम अपनी पालियामेंट को यानि लोक सभा को रैफर करते हैं उचित गाईडेंस लेने के लिए कि वहां पर क्या प्रैक्टिस है । स्पीकर साहिब, डा. मंगल सैन ने कहा है कि 1 4 दिन पहले भेजा जाना चाहिए । रूल 210 में लिखा है कि 'गवर्नर मे अप्वायंट' उस दिन बजट पेश होगा । लोक सभा का रूल नं. 204 है । अगर आप रूल नं. 204 को देखें और विधान सभा के रुल्ज को जो यहां पर एप्लीकेवल हैं उसको देखें तो आपको जरा भी फर्क नही मिलेगा । यहां भी ''मे अप्यायंट'' है और वहां भी ''मे अप्वायट है '' । अब सवाल आ जाता है सेक्शन का । यह भी

दोनों में एक जैसा है । अब प्रैक्टिस का सवाल आ जाता है । प्रैक्टिस यह है कि 14 दिन पहते गवर्नर एक दिन नोटिफाई करता है लेकिन गवर्नर साहिब ने कोई दिन मुकर्रर नहीं किया । ज्यादा से ज्यादा यह कहा जा सकता है कि शुक्रवार को नोटिस जारी किया होगा लेकिन मेरे पास कोई नोटिस नहीं पहुंचा । मैं अखबारी खबरों पर तो जाना नहीं चाहता लेकिन इतना ठीक है कि नोटिस जारी नहीं हुआ । हमें कोई नोटिस नहीं मिला हम आपको हल्फिया बयान देने के लिए तैयार है' । अभी हाउस में पता चला है कि आज बजट पेश हो रहा है, अजण्डे पर भी लिखा हुआ है । स्पीकर साहिब, आप बहुत बड़ी चेयर पर बैठे हुए है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ऊंची है । जो रूल आपने मैसूर असैम्बली का कोट किया है, स्पीकर्ज कान्फ्रेंस भी हुई है, आप इन सारी चीजों कों मद्देनजर रख कर फैसला करें ।

श्री अध्यक्ष : रुल 204 के बारे में आप ने फर्माया है उसका पढ़ दीजिए।

Chaudhry Chand Ram : Rule 204(1) of the Lok Sabha Rules reads as under :--

"The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of India in respect of each financial year (hereinafter referred to as " the Budget") shall be presented to the House on such day as the President may direct."

डाक्टर मंगल सैन ने भी आपकी तवज्जह रूल 210 की ओर दिलाई है । मैं भी उसे पढ़ देता हूं ––

"210. The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of the State in respect of every financial year (hereinafter referred to as " the Budget") shall be presented to the Assembly on such day as the Governor may appoint ."

वहां डारेक्ट है, वहां अपुआइट हूँ । अगर डारेक्ट और अपुआइट में आप देखेंगे तो बिल्कुल आइडैन्टिकल सारी चीजें है' ।

Mr. Speaker : One of the points raised by one of the hon. Members was regarding the Constitution of the Business Advisory Committee. The Rule of procedure concerning this is that the Speaker may nominate t Committee called 'The Business Advisory Committee' consisting of the Speaker and not more than five other members. Actually, I would have been only too happy to appoint such a Committee. But. I honestly say that so far no one excepting Chaudhri Mukhtiar Singh talked to are about it. He also did it only once and that too about a week ago. It would have been a pleasure to me to appoint a Committee like this if some body had stressed or emphasised about it

Chaudhry Chand Ram : 1t is obligatory for the Speaker to nominate such a Committee.

Mr. Speaker : The word is 'may'. It is not obligatory.

Chaudhry Chand Ram : 'May' sometimes in law means 'shall'. You can ask a lawyer.

A Voice from the Treasury Benches : It is not obligatory.

Chaudhry Chand Rain : 'May' in certain circumstances means 'shall'.

Mr. Speaker : As I said, earlier, I would have been very happy to appoint such **a** Committee. So, there is no question of 'may' or 'shall'. Hence, this question does not arise, really.

चौधरी चान्द राम : जनाब उसकी कोई बात नहीं है । सवाल इस बात का है कि एक अजेंडा जो पहले जारी किया गया उसमें तो कहा गया हे कि 12 फरवरी को सेशन खत्म हो जाएगा । मगर अब एक दूसरा एजेन्डा फिर जारी किया गया है और उस वक्त किया गया है जबकि सैशन चल रहा है । इसलिए बिजनैस एडवाजरी कमेटी की जरूरत थी वरना आप अपुआइट करते या न करते, उसके बाबत कोई बात नहीं है ।

Mr. Speaker : I wish this point had been raised. A Business Advisory Committee will be constituted and if this had been pointed out by any of the hon. Members, particularly from the Opposition, I would have been happy and pleased to do so.

The other point raised was whether the Budget could be brought before the House or presented to the House today as it is being done. Now, in this regard, I am afraid, the Rules of Procedure or the precedents of the Lok Sabha have been mentioned. I would like to know if any hon. Member can cite if there are such rules in any other State. In any oase, I would like to stress that we are bound by the Rules that have been prepared I was and which are contained in our Rules of Procedure. (Interruptions.)

I have been listening most patiently to you all and it took more than 40 minutes.

So, the Conduct of Business of this House is guided by these Rules which have been prepared and adopted by this August House. Here in Rule 210 lays down—

"The Annual Financial Statement or the Statement of the Estimated Receipts and Expenditure of the Government of the State in respect of every financial year (hereinafter referred to as "the Budget") shall be presented to the Assembly on such day as the Governor may appoint."

This says that the Budget shall be presented to the Assembly on such day as the Governor may appoint. I have an order of the Governor which reads as under :-

"Under Rule 210 of the Rules of Procedure and Conduct of Business as applicable to the Haryana Vidhan Sabha, **I** appoint 10th February, 1969, as the day for presentation of the Budget Estimates 1969-70, to the Haryana Vidhan Sabha."

Rao Birender Singh : What is the date, Sir ?

Mr. Speaker : Date ? It is issued on the 8th of February, 1969.

Rao Birender Singh : This is even worse. Then it means that your approval, Governor's approval and every thing was obtained only 24 or 48 hours before they are presenting the Budget. (Interruptions.) This all makes it more shaddy. I r makes it even worse.

Mr. Speaker : Hon. Members, whatever it is, it is regular

under the Rules.

WALK-OUT

Rao Birender Singh : I am sorry to say, Sir, that we cannot be a party to rape of democracy like this.

(At this stage the Opposition staged a walk-out)

PRESENTATION OF BUDGET FOR THE YEAR 1969-70

वित मन्त्री (श्रीमती ओम प्रभा जैन) : स्पीकर साहिब

Mr. Speaker : Bahin ji, one second. I want to make one observation. Haryana has always given a lead in introducing new practices and precedents and today we are doing it again.

वित मन्त्री : मुझे आज इस महान सदन के सामने 1969–70 के बजट अनुमान पेश करने का गौरव प्रान्त हुआ है । सदन ने पिछले साल जुलाई में चालू वर्ष के बजट अनुमानों पर विचार किया था । तब से सरकार राज्य के साधनों का

जायजा लेती रही है । सरकार ने यत्न किया है कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए विकास पर आवश्यक खर्च को तो न घटाया जाय और किफायत तथा आमदनी बढ़ाकर बजट के घाटे को कम किया जाए ।

आर्थिक स्थिति

2. वर्ष 1968– 69 आर्थिक क्षेत्र में हमारे लिए आशा का सन्देश लाया है । खेती के लिए अनुकूल जलवायु, अधिक उपज देने वाले

वीजों और खाद के अधिक इस्तेमाल से वर्ष 1967– 68 के दौरान 39.93 लाख टन अनाज की रिकार्ड पैदावार हुई । अनाज की अधिक पैदावार के साथ साथ तिलहन और कपास की भी उतनी ही अधिक पैदावार हुई । तिलहन की 1966– 67 की पैदावार 0. 90 लाख टन से बढ़कर 1967– 68 में 1. 13 लाख टन और कपास की पैदावार 1967– 68 में 2.89 लाख गांठ से बढ़कर 3.75 लाख गांठ हो गई । परन्तु गन्ने की पैदावार में कुछ कमी हुई है जो 1966– 67 में 510 लाख टन से घटकर 1967– 68 में केवल 4.76 लाख टन रह गई । इसका मुख्य कारण यह है कि ईख का रत्ता रोग फैला रहा और गन्ने की खेती के रकबे में भी कमी हो गई । खेतीबाड़ी की पैदावार बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ हूँ और कीमतें बढ़ने से रुक गई है । अखिल भारतीय थोक मुल्य सूचकांक (आधार 1952–53) जनवरी, 1968 में 209.7 था और सितम्बर, 1968 में बढकर 221.5 हो गया । इसमें 56 प्रतिशत की वुद्धि दिखाई देती है, जब कि 1967 की उसी अवधि के दौरान यह वृद्धि 1 1 5 प्रतिशत रही । कामगर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार 1949 में 100) जो जनवरी 1968 में 220 था, अगस्त, 1968 में घटकर 216 रह गया । इस में 1. 8 प्रतिशत कमी हुई है । वर्ष 1 967 में उसी अवधि के दौरान सूचकांक में 9.1 प्रतिशत वृद्धि हुई थी । सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जनवरी, 1 968 से नवम्बर, 1 968 तक केवल 4.3 प्रतिशत वृद्धि हुई ।

3. 1967– 68 में अनुक्रृल जलवायु के कारण खेती की पैदावार में काफी वुद्धि हो सकी । यद्यपि अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को अपनाने तथा अन्य खादों के प्रयोग का जोरदार कार्यक्रम चल रहा है, किन्तु दुर्भाग्यवश कृषि के लिए जलवायु की स्थिति 1968– 69 में वैसी ही अनुकल नही रही । वर्षा केवल जुलाई और अगस्त में ही हुई और बहुत अधिक मावा में हुई । बाढ़ से फसलों तथा सम्पति कौ काफी हानि हुई । अनुमान कद कि 8.15 लाग्ब एकड़ क्षेत्र में बाढ़ का बुरा प्रभाव पड़ा और करनाल, जींद, रोहतक और हिसार के कुछ भागों में हानि हुई । रबी की बुवाई के समय वर्षा होने की आशा पूरी नहीं हुई जिस से जिला महेन्द्रगढ में और जिला गुडगांव और रोहतक के कुछ स्थानों में सूखा पड़ गया । इन कमियों को कुछ हद तक लघु सिचाई कार्य क्रम तथा अच्छे साधनों एवं बीजों के प्रयोग से पूरा किया जाएगा । मुख्यत सड़को, स्कूलों और बाढ़ रोकने के साधनों के लिए अधिक खर्च की व्यवस्था है । इससे राज्य की योजना का खर्च 23.94 लाख रु 0 से बढ़ कर 26.19 लाख रुपए हौ गया है । आशा है कि 1966– 67 की 25.70 लाख टन अनाज कोई पैदावार के मुकाबले में यह बढ़ कर 31 लाख टन हो जायेगी क्योंकि जहां तक कृषि सम्बन्धी मौसम का सम्बन्ध है, वर्ष 1968– 69 वर्ष 1966–67 जैसा ही है ।

4. सरकारी नीति का उद्देश्य है कि कीमतों को स्थिर रखा जाए और साथ ही कीमतें न गिरने दे.ने की नीति को अपनाने से किसानों को आकर्षक कीमतें दिलाकर उत्पादन को बढ़ाया जाय ।

सरकार ने अत्यधिक फालतू पैदावार को इकट्ठी करने की लिए बडे पैमाने पर खरीद शुरु की है ताकि किसानों को वाजिब कीमतें मिल सकें । सरकार द्वारा लगभग 2 8, 000 टन गेहूं खरीदा गया ।

40,000 टन गेहूं और 25,000 टन चावल की भारी मावा प्रान्तीय भडार म रखी जायेगी । जब कभी जरूरत पड़ेगी तो सारे राज्य में 2, 963 सस्ते डिपुओं द्वारा अनाज का वितरण किया जाएगा ।

जैसा कि मैने पिछले अधिवेशन में बजट अनुमान पेश करते समय अपने भाषण मे कहा था कि वर्ष 1968– 69 के आरम्भ में 7, 71 लाख रुपए का घाटा था । लेखा देखने से पता चलता है कि इस घाटे के दौ मुख्य कारण थे एक तो भुमि बेचने से वास्तविक आमदनी आरम्भ में आशा से ब हुत कम हुई, तथा दूसरे 229 लाख रुपए की खाद राज्य सरकार के पास पड़ी रही है । देहातों में बिजली लगाने के कार्य क्रम के सम्बन्ध में भारत सरकार से मिलने वाला 140 लाख रुपए का कर्जा भी अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

वर्ष 1968– 69 के. बजट अनुमान का अब संशोधन किया जा चुका है तथा वर्ष 1968– 69 की संशोधित स्थिति और वर्ष 1969– 70 के अनुमान इस प्रकार हैं –

सशोधित बजट बजट

	अनुमान 1968–69	अनुमान 1969–70
	(आकडे लाख रूपयों में)	
(i) प्रारम्भिक बकाया–		
(क) खाता बहियों के अनुसार	-70	-650
(ख) नीचे लिखे में लगी हुई पूंजी		
खजाना बिल		
प्रतिभूतियां (सिक्योरिटियां)	475	475
(ii) राजस्व लेखा––		
आमदनी	7456	7834
खर्च	7109	7979
बचत (+) घाटा (-)	347	-145
(iii) पूंजीं खर्च (निवल)	499	733
(iv) सरकारी ऋण–		
लिया गया ऋण	4020	4923

कर्जे को वापसी	3630	4440
निवल	+ 390	- 483
(v) कर्जे तथा पेशगियां––		
पैंशगियां	1718	1624
वसूलिया	737	1024
निवल	- 981	- 584
अंन्तर्राज्य समंजन		
फुटकर निधि (निवल)		
अनिधिक ऋण (निवल)	+ 35	+ 37
जमा तथा पेशगियां (निवल)	835	824
प्रेषण (निवल)	- 7	- 6
अन्तिम बकाया	- 650	- 774

(क) खाता बहियों के अनुसार

(ख) निम्न लिखित में लगाई गई पूंजी :

खजाना बिल

मैं लम्बी चौड़ी तफसील. में न जाते हुए पहले उन परिवर्तनों का संक्षेप में जिक्र करूंगी जिन से चालू साल के हमारे संशोधित अनुमानों की स्थिति में सुधार हुआ हूँ ।

(इस समय उपाध्यक्षा कुर्सी पर विराजमान हुई')

इस सुधार का कारण यह है कि कुछ तो आमदनी में बढ़ती हुई और कुछ योजनेतर खर्च. में किफायत की गई । आमदनी में मुख्य बढती बिक्री कर, अन्य करों और उप–करों, स्टाम्पो, सड़क तथा जल परिवहन, विविध और भारत सरकार से चावल प्रोत्साहन बोनस के रूप में है । चाहे व्याज के खर्च चिकित्सा और खेती से घटने वाली आमदनी के कारण यह आमदनी कुछ हद तक कम हो गई, फिर भी कुल बढ़ती 490 लाख रुपए अर्थात् 6966 लाख रुपए सें 7456 लाख रुपए हुई । इसके साथ साथ राजस्व का खर्च भी 7170 लाख रुपए से घटकर 7109 लाख रुपए रह गया है, जिस से 61 लाख रुपए की बचत हुई है । यदि 63 लाख रुपए की वचत को बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाए जाने वाले कामों पर खर्च न किया जाता तो वचत की यह रकम और भी अधिक होती ।

138 लाख रुपए का पूर्व अनुमानित पूंजीगत खर्च अब बढकर 499 लाख रुपए हो जाने की सम्भावना है । खर्च में इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य भूमि बन्धक बैकों के लिये ऋण–पत्रो की खरीद (57 लाख रुपए), व्यास परियोजना पर अधिक खर्च (39 लाख रुपए), बाढ़ नियन्त्रण स्कीमें (63 लाख रुपए) राज्य परिवहन विभाग के लिये नई बसीं की खरीद (27 लाख रुपए) और शहरी बस्ती विभाग ब्रास प्लाटों की बिक्री से कम वसूली का होना है ।

वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पहली सितम्बर, 1968 से केन्द्रीय दरों पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने' का निर्णय किया है । इस कारण इस वर्ष राज्य कोष पर38 लाख रुपए और 1969–70 के दोरान 77 लाख रुपए का अधिक खर्च पड़ेगा ।

सशोधित अनुमानों के अन्दर सरकारी ऋण' शीर्ष के अधीन प्राप्तियों में 77 लाख रुपए की कमी हुई हूँ । इसका मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष के दोरान राज्य सरकार को 128 लाख रुपए की वह रकम लौटानी पड़ी जो वर्ष 1966– 67 के दौरान सहायता के रूप में अधिक मिली थी 755 ताख रुपए की पूर्व प्रत्याशित रकम के मुकाबले में विभिन्न निक्षेपों से वर्ष 1968– 69 के संशोधित अनुमानों में सरकार को 8.35 लाख रुपए की निवल रकम उपलब्ध द्रई है ।

1968– 69 के बजट अनुमानों के मुकाबले मे' 1968– 69 कैं संशोधित अनुमान बड़े उत्साहवर्धक रहे है । क्योंकि इनसे 1,20

लाख रुपए का घाटा पूरा हुआ है । सरकार को आशा है कि वर्ष 1 928– 69 कीं समाप्ति पर बकाये में 650 लाख रुपए का घाटा होगा । इसके मुकाबले में पहले लगाए गए बजट अनुमानों में 815 लाख रुपए के घाटे की आशंका थी । यदि रुस वर्ष के दौरान उपयु' क्त 1 40 लाख रुपए का मारण प्राप्त हो गया तो इम घाटे को और कम कर दिया जाएगा ।

अब में माननीय सदस्यों का ध्यान 1969– 70 के अनुमानों की ओर दिलाना चाहूंगा । 1968– 69 के संशोधित अनुमानों के मुकाबले में 196 9– 70 के लिए अनु मानित राजस्व प्राप्तियों में 378 लाख रुपए की वुद्धि हुई है । यह वृद्धि कुछ हद तक तो पांचवे वित्त आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट में की गर्ड सिफारिश के अनुसार निगम करो और केन्द्रीय उत्पादन–शुल्क के अतिरिक्त अन्य आमदनियो पा करों के हमारे हिस्से मे आई अधिक प्राप्तियों (107 लाख रुपए) के कारण हुई है । इन निम्नलिखित मद्दों से भी अधिक प्राप्तियां होने की सम्भावना है बिक्री कर (21 लाख रुपए), अन्य कर तथा शुल्क (19 लाख रुपए), स्टाम्प (36 ताख रुपए), ब्याज प्रभार (102 लाख रुपए), सड़क तथा जल परिवहन (85 लाख रुपए), चिकित्सा (24 लाख रुपए), और पशुपालन (24 लाख रुपए) । नए क्षेत्रो में कर्मचारी राज्य बीमा स्कीमों के विस्तार के कारण चिकित्सा विभाग से होने वाली प्राप्तियों में वृद्धि की सम्भावना है । देहाती क्रीम कारखाना जीन्द से पशुपालन विभाग को अतिरिक्त आय होने की सम्भावना है और परिवहन सेवाओं के विस्तार से भी

अतिरिक्त आय होगी । 1969–7 0 के बजट अनुमानों में राजस्व खर्च का अनुमान 7979 लाख रुपए लगाया गया है जो संशोधित अनुमानों में दिखाए गए 7109 लाख रुपए के मुकाबले मे 870 लाख रुपए अधिक है । इस का एक कारण यह है कि 1969– 70 से कुछ योजना स्कीमों के सम्बन्ध में होने वाले खर्च की 392 लाख रुपए की रकम को योजनेतर स्कीमों पर खर्च किया जाएगा । आशा है कि योजना स्कीमों के कारण राजस्व खर्च में 64 लाख रुपए तक की वद्धि हो जाएगी ।

रोहतक में जिला जेल के निर्माण (30 लाख रुपए), विभिन्न स्थानों पर पुलिस भवनों के निर्माण (6 लाख रुपए), भवन तथा सडक विभाग के कार्यालय भवन तथा संग्रह गोदामों के निर्माण (5 लाख रुपए) आदि की योजनेतर नई स्कीमों के लिए 57 लाख रुपए की रकम चाहिए । फिर भी आशा है कि रोहतक में जेल के निर्माण का खर्च इस समय महिलाओँ के राजकीय महाविद्यालय, रोहतक के कब्जे में जमीन तथा भवनों की बिक्री से पूरा हो जाएगा । अतिरिक्त खर्च अंशतः पहले दिए गए महंगाई भत्ते के दरों में बढ्ती तथा हाल ही में घोषित किए गए सरकारी कर्मचारियों के वेतमानों में संशोधन के कारण हुआ है । पहली फरवरी, 1969 से वेतनमानों में संशोधन करने के कारण 2 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जिस का पूरा ब्योरा 1969–70 के बजट अनुमानों में दिया गया है ।

1969–70 के बजट अनुमानों में 733 लाख रुपए के पूंजी खर्च की व्यवस्था की गई है । 1968–69 के संशोधित अनुमानों में योजना खर्च के 833 ताख रुपए से बढ़कर 989 लाख रुपए हो जाने के कारण 234 लाख रुपए की वृद्धि हुई है । इसके साथही सार्वजनिक निर्माण कार्यों (246 लाख रु0), सड़क तथा जल परिवहन स्कीमों (44 लाख रुपए) और औद्योगिक तथा आर्थिक विकास (28 लाख रु०) पर अतिरिक्त खर्च किया जाएगा ।

''सरकारी ऋण'' शीर्ष के अधीण प्राप्तियां 483 लाख रुपए होंगी, जो संशोधित अनुमानों में 3.90 लाख रुपए थी । पिछले वर्ष की तरह मार्किट कजें बढ़ाने का विचार है । कुल वृद्धि इस से भी कहीं अधिक होती, परन्तु भाखड़ा नंगल के कजों की अदायगी के कारण ऐसा न हो सका । वर्ष 1969–70 में ये अदायगियां 12.87 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएंगी, जिस से राज्य के साधनों पर बड़ा भारी बोझ पड़ेगा । कर्जों और पेशगियों के बारे में 1968–69 के संशोधित अनुमानों में रखी गई 9, 81 लाख रुपए की रकम के मुकाबले में 1969–70 के अनुमानों में 5. 84 लाख रुपए के निवल ऋण की व्यवस्था छै । ऐसा मुख्य रूप से राज्य बिजली बोर्ड जैसी अन्य संस्थाओं की कम अदायगियों के कारण है । इन्हें बहूद्देशीय–नदी योजनाओं आदि के लिये 1968– 69 के संशोधित अनुमानों में रखे गए 6.70 लाख रुपए के व 5.50 रुपए का कर्जा पेशगी के रूप में दिया जाएगा । इसके अतिरिक्त, वर्ष 1969– 70 में योजनेतर लेखे में से बिजली बोर्ड को किसी प्रकार का कर्जा

पेशगी देने की व्यवस्था नहीं की गई है । बोर्ड को अपने व्याज प्रभारों के लिए पूंजी जुटा सकने के प्रयोजन से वर्ष 1 9 ह 8– 69 के दौरान बिजली बोड के लिये 1.6० लाख रुपए की रकम रखी गई थी ।

1969– 70 के बजट अनुमानों में अधिक ऋण के रूप में 37 लाख रुपये और जमा तथा पेशगियों से हुई निवल आमदनी के रूप में 8.24 लाख रुपये शामिल है' ।

इस लिये 1969–70 के बजट अनु मानों में 1.24 लाख रुपये का घाटा रहेगा । यह वर्ष 6. 50 लाख रुपये के मनफी बकाया से शुरू होगा और इसके 7. 74 लाख रुपये के मनफी बकाया से समाप्त होने की सम्भावना है ।

राज्य में आर्थिक साधनों की स्थिति को मजबूत बनाने के लिये बैंक से उधार प्राप्त करके राज्य द्वारा अनाज और खाद के व्यापार के लिये धन जुटाने का निश्चय किया गया है । वर्त मान प्रणाली के अन्तगर्त राज्य सरकार का धन राज्य व्यापार में लगा हुआ है और आशा है कि बैक–उधार मिलने से राज्य सरकार अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकेगी ।

मैं पांचवें आर्थिक आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट का जिक्र करना चाहूं गी, जिसमें आयोग ने अनुच्छेद 275 के अधीन 1969–70 के लिये हरियाणा के लिये किसी सहायता– अनुदान को सिफारिश नहीं की । आशा है कि आयोग अन्तिम रिर्पोट में राज्य के पिछड़ेपन पर

विचार करेगा और उचित सहायता–अनुदान की सिफारिश करेगा । आयोग की अन्तरिम सिफारिशों के आधार पर राज्य खजाने को केन्द्रीय करों और शुल्कों में अपने हिस्सों के रूप में लाभ होगा ।

5. चौथी पंच–वर्षीय योजना 1969–74 ती वार्षिक योजनाओ के बाद अब पहली अप्रैल, 1969 से शुरू होगी । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा राज्य योजनाओं के प्रति दष्टिकोण, इन पर कुल खर्च और इनके विस्तार पर विचार किया जा रहा है । मैं माननीय सदस्यों के सूचनार्थ चौथे योजना के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का उल्लेख करना चाहती ह । पहले राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अपनाये गये फार–मले के आधार पर केन्द्रीय सहायता की मावा का पांच वर्ष के लिये पहले ही फैसला कर लिया जायेगा । केन्द्रीय सहायता स्कीम के ढांचे के अनुसार नहीं होगी, बल्कि यह इकमुश्त कर्जों और अनुदानों के रूप में मिलेगी । अनुदान का भाग राज्य के लिये कुल केन्द्रीय सहायता का अनुमानित 30 प्रतिशत होगा । स्कीम के ढांचे के अनुसार केन्द्रीय सहायता न मिलने से राज्यों को अपनी विशेष जरूरतों, साधनों और योजना प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी योजनाएं बनाने की स्वतंन्त्रता होगी । इसके इलावा भारत सरकार 52 केन्द्र चालित स्कीमों को विकास के विविध उपशीर्षो के अन्तर्गत राज्य योजना लागत के अतिरिक्त 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता देगी ।

6. योजना आयोग में हरियाणा राज्य के लिये अनुमानत 262 करोड़ रुपये के प्रस्ताव के प्रारूप पर विचार किया गया और साधनों की सुलभता को ध्यान में रखते' हुये 190 करोड़ रुपये की लागत हो सकेगी । राज्य सरकार का विचार है कि ए. आर. सी. ए. एफ. सी. : आई. डी. बी. आइ और अन्य वाणिज्यिक वैको जैसी संस्थाओं के साधना को ठीक प्रकार से प्रयोग में' लाने से राज्य लघु सिंचाई, खेतीबाड़ी के बढ़िया औजारों, बगीचों के विकास चिरकाल सै सूखाग्रस्त भूमि के संरक्षण और छोटे उद्योगों जैसे महत्तवपूर्ण प्रोग्रामों को हाथ में ले सकेगा । योजना आयोग ने वर्ष 1969–70 में 14 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 23 करोड़ रुपये की लागत का सुझाव दिया कस ।

7. अतः इस सरकार ने 26 करोड़ रुपये तक खर्च बज्ञना आवश्यक समझा है । इसके अतिरिक्त, यदि सहायता मिल गई तो, 3 करोड़ या इससे अधिक रुपये केन्द्र– संचालित–योजनाओं के त्रिये प्राप्त होंगे । खेती बाड़ी से सम्बन्धित कुछ विशेष प्राथमिकता प्राप्त सैक्टरों के लिये उपलब्ध संस्थागत साधनों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोंग के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा ।

8. इस सैक्टर सम्बन्धी प्राथमिकताओं मैं कृषि, सिंचाई तथा बिजली–योजनाओं को चालू रखने के लिये जोर दिया जा रहा है । कुल 2600 लाख रुपये के पूंजी खर्च में से इन मुख्य सैक्टरों पर 1751.50 लाख (67.4 प्रतिशत) रुपये की रकम खर्च होगी । सड़कों, सड़क–परिवहन तथा सामाजिक सेवाओं पर 734. 50 लाख

(28. 2 प्रतिशत) रुपये की रकम खर्च होगी । उद्योगों पर 100 लाख रुपये खर्च होंगे, जो कि पूंजी लागत का 3.9 प्रतिशत है ।

कृषि तया सम्बन्धित कार्यक्रम

9. हरियाणा में कषि सैक्टर आर्थिक–उन्नति का मुख्य साधन है । परिश्रम तथा नये तरीके अपनाने का उत्साह हरियाणा के किसान के विशेष गुण हैं । प्रति युनिट क्षेत्र में उत्पादन बढाने की पूर्ण सफलता पर्याप्त सिंचाई सुविधायें जुटाने, खाद आदि डालने तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र लाने पर निर्भर है ।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये इस जोरदार कार्यक्रम में अधिक उपज देने वाली किस्मों का अधिकाधिक प्रयोग तथा बढिया खाद आदि का प्रयोग शामिल है । अधिक उपज देने वाली किस्मों के कार्यक्रम के अन्तर्गत अधिकाधिक क्षेत्र लाने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिसके लिये सिंचाई की सुविधाओं कौ बढ़ाया जा रहा बै । राज्य योजना में कृषि वर्ग के लिये 126.50 लाख रुपये के खर्च का प्रवन्ध किया गया है । राज्य यौजना नियतन के अतिरिक्त, संस्थागत साधन, जिनका कि मैं बाद मे‘ वर्णन करूंगी, कृषि वर्ग के विषयों के अधीन अनेक योजनाओं के लिये प्राप्य होंगे ।

10. कृषि तथा सम्बन्धित कार्यक्रमों की कुल बचत 6.50 लाख रुपये की रकम मैं से, कृषि उत्पादन के लिये 140 लाख रुपये की रकम रखी गई है । इस कार्यक्रम में जोरदार उपायों द्वारा जिला

करनाल में सघन विकास का कार्य भी शामिल है, जिसमें वर्ष 19 68– 69 के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत 2. 25 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 4.74 लाख हैक्टेयर कर दिया है । इस पर वर्ष 1969–70 के दौरान 21. 81 लाख रुपये खर्च होंगे । नकदी फसलों के विकास जैसा कि .कपास, तिलहन पर 13. 13 लाख रुपये तथा 42.50 लाख हैक्टेयर के अन्तगर्त पौधों के सुरक्षा उपायों पर 4. 50 लाख रुपये की रकम खर्च होगी । वर्ष 1969–70 के दौरान कपास की एक लाख हैक्टेयर क्षेर पर हवाई जहाज द्वारा दवाइयां छिड़की जायेगी । कृषि–उद्योग निगम की हिस्सा पूंजी को बढाने के लिये 10.76 लाख रुपये. का प्रबन्ध किया गया है । इसके कार्य–क्षेत्र के दायरे को बढ़ाने की सम्भावना है जिसमें विदेशी ट्रैक्टरों को जोड़ना तथा कृषि और इससे सम्बन्धित क्षेत्रो के कार्यक्रम शामिल है' । आशा है कि रासायनिक खाद की खपत वर्ष 1968–69 के लिये रखे गये 4. 50 लाख टन के निशाने सै बढ़कर वर्ष 1969–70 में ह लाख टन हो जायेगी । बुवाई के लिये खरे और परखे हुये 20,000 क्विटल बुनियादी बीज सरकारी फार्मो को दिये गये ताकि वे बीज की माज बढ़ा सके ।

वर्ष 1968– 69 के दौरान हुई अनाज की 31 लाख टन पैदावार के मुकाबले में 1969–70 के दौरान सघन उपाय अपनाने से प्रति यूनिट क्षेत्र पैदावार 33.25 लाख टन हो जायेगी । इस प्र कार खेती की पैदावार में 7 प्रतिशत बढ़ती होगी । अनुमान है कि

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरियाणा में अलग कृषि विश्व–विद्यालय स्थापित हो जाएगा । (प्रशंसा)

लघु सिंचाई

सिंचाई प्रयोजनों के लिए भूमि के ऊपर पानी की कमी के कारण भूमि के नीचे के पानी को उपयोग में लाने का महत्व बढ़ गया है । इसके अनुसार भूमि के नीचे के पानी को सिंचाई के लिए सम्भावी भू–गर्भ जल क्षेत्रो का सर्वेक्षण करने के लिये एक भू–जल अनुसंधान शाखा की स्थापना की गई है । सघन तथा अधिक फसलो के लिये लघु सिंचाई सुविधाएं मिलती रहनी चाहिएं । इस लिए राज्य सरकार ने लघु सिंचाई कार्यक्रमों को सब से अधिक पहल देने का निश्चय किया है ।

योजना के अधीन लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए 105 करोड़ रुपए की रकम. रूखी गई है । इस राशि में से 30 लाख रुपए की रकम जिला महेन्द्रगढ़ और जिला गुडगांव में गहरे सिंचाई नलकूपों, तालाबों और बान्धो के बनाने पर खर्च की जाएगी । कृषि पुनर्वित्त निगम या कृषि–वित्तनिगम के अन्तर्गत न आये लघु सिंचाई कार्यो के लिये तकावी कर्जों के रूप में 8.78 लाख रुपए प्राप्त होंगे ।

किन्तु लघु सिंचाई के वास्तविक महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को संस्थागत साधनों की सहायता से अमल में लाया जा रहा है । कृषि पुनर्वित निगम से 525 लाख रुपए सहायता के रूप में प्राप्त होंगे तथा वे

स्कीमों में शामिल है । हरियाणा के विभिन्न जिलों के सुगठित खण्डो में 3,900 नलकूप, 800 पम्पिग सेट, 800 कुएं तथा 60 गहरे नलकूप लगाने की स्कीमें शामिल है । जिला अम्बाला की तहसील नारायणगढ में 200 गहरे नलकूप लगाने के वास्ते कृषि पुनर्वित निगम द्रारा दी गई लगभग 2,00 लाख रुपए की सहायता के इस्तेमाल के लिए शिखर समितियों का संगठन किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राज्य भूमि बन्धक बैक तथा अन्य सहकारी संस्थाएं लघु सिंचाई कार्यो के लिए क्रमश : 120 लाख तथा 70 लाख रुपए की व्यवस्था करेंगी । आशा है कि वाणिज्यिक बैक भी वर्ष 1969–70 के दौरान लघु सिंचाई निर्माण कार्यों के लिए 6० लाख रुपए की व्यवस्था करेंगे ।

सहकारिता

कृषि विज्ञान के प्रसार से उधार की मांग काफी बढ़ेगी । उधार की रकम को ठीक ढंग से बांटने के लिए उधार समितियों की पूंजी बढाने के साथ–साथ असफल एवं न चल सकने वाली समितियों को समाप्त करने के लिये पग उठाये जायेंगे । कृषि–क्षेत्रो के लिए ऋण सुविधाएं।

प्रति वर्ष बढ़ती जा रही हैं । पिछले वर्ष 13 करोड़ रुपए के मुकाबले में इस वर्ष किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से 19 करोड़ रुपए के ऋण मिल सकेंगे । सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई नीति के अनुसार

किसानों की कुण संबन्धी मांग को पूरा करने के लिये वाणिज्यिक बैक ज्यादा से ज्यादा सहायता दे रहे है । सहकारी समितियों की पूंजी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए ह 6 लाख रुपए उपलब्ध होंगे तथा 2.49 लाख रुपए विभिन्न सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय सहायता के रूप में दिाा जाएगे । 10/8 देहाती गोदाम बनाने के लिए 43.15 लाख रुपए रखे गए हैं ।

हरियाणा मार्कीटिग फैडरेशन को अब तक 43.15 लाख रुपए की हिस्सा पूंजी दी गई है । वर्ष 1969– 70 के दौरान हिस्सा पूंजी और बढ़ा दी जाएगी । फैडरेशन और उससे सम्बध संस्थाए सारे राज्य में खाद बांटने का काम करती हैं । सहकारी समितियों के कर्मचारियों और गैर–कर्मचारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण का भी प्रवन्ध किया गया है ।

ग्राम सेवा तथा मार्कीटिंग सहकारी समितियों के माध्यम से देहाती क्षेत्रो में उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने की दिशा में विशेष प्रगति हो रही है ।

पशुपालन तथा डेरी

राज्य की आर्थिक व्यवस्था में पशुपालन तथा डेरी के विकास का विशेष महत्व है, क्योंकि हरियाणा राज्य मुर्ग भैसों तथा हरियाणा नसल की गौओं के लिए प्रसिद्ध है । इसके लिए 85 लाख रुपए रखे गए हैं ।

वर्ष 1967–6 8 के दौरान गुड़गांव तथा करनाल में स्थापित दो सएन पशु विकास परिष्ठोजना – ब्लाक जारी रखे जाएंगे और जींद के अन्दर सरकारी क्षेत्रो में तथा पहेवा के अन्दर गैर–सरकारी क्षेत्रो में स्थापित किए जाने वाले दूध के कारखानों को दूध सप्लाई करने के लिए दो नई सघन पशु

विकास परियोजनाओं की स्थापना का विचार है । जींद में देहाती–क्रीम निकालने का कारखाना (रूरल क्रीमरी) नवम्वर, 1969 तक पूरा हो जाएगा और वहां उत्पादन भी शुरू हो जाएगा । यहां हर रोज 50,000 लिंटर दूध की खपत होगी । सघन पशु विकास ब्लाकों के अतिरिक्त, कृत्रिम गर्भाधान को लोक–प्रिय बनाने के लिए 'प्रमुख ग्राम कार्यक्रम' के अधीन महत्वपूर्ण इलाके आ जाएंगे । हिसार पशुधन फार्म का तीसरा सैक्टर तैयार किया जा रहा है । फार्म को आधुनिक रूप दिया जा रहा है ताकि पशुओं अम्बाला के सुअर फार्म को बढ़ाया जाएगा और सुअरखाने के विकास के लिए ब्लाको की स्थापना की जाएगी । वर्ष 1969–70 के दौरान तीन मुर्गीपालन विकास ब्लाकों स्थापना की जाएगी ।

राज्य की अर्थ–व्यवस्था में वनों का एक महत्वपूर्ण स्थान है । वषं 1969– 70 के दौरान वन–उद्योग के विकास के लिए 17 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है । इस प्रोग्राम के अन्दर 900 हैक्टेयर क्षेत्र में कम खर्च पर लाभदायक और कीमती पेड़ लगाने, पौधों की पट्टीदार खेती करना, चब्बड़ घास और छायादार पेड़ लगाना शामिल है । पहाड़ी तथा रेतीले क्षेत्रे में भूमि संरक्षण के लिए पेड़

लगाने के काम की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । घाटी वाली भूमि का सुधार करना, रोक डेम बनाना तथा चोओं का सुधार करना, बलुआ टिब्बे बनाना आदि कुछेक ऐसे काम हैं जिन्हें भूमि संरक्षण के काम के लिए शुरू करने का विचार है ।

सिंचाई तथा बिजली

सिंचाई, बिजली, बाढ–नियन्यत्रण तथा जल–निकास के लिए रखी गई 1525. 00 लाख रुपयों की कुल रकम में से भाखड़ा तथा व्यास की बहूद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के लिए 530.00 लाख रुपयों की रकम रखी गई है । इसमें से व्यास परियोजना के पहले तथा दूसरे यूनिट पर 245.00 लाख रुपये और भाखड़ा के दाहिने किनारे के बिजली घर की परियोजना पर 285. 00 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे । दाहिने किनारे की बिजली घर परियोजना की व्यवस्था में भाखड़ा प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किया जाने वाला 220 के०वी० का और हरियाणा राज्य विजली बोर्ड द्वारा किया जाने वाला 132 के ० वी० का पारेषण निर्माण कार्य (ट्रांसमिशन वर्क्स) शामिल है । बड़ी और मध्यम सिंचाई स्कीमों को चालू रखने के लिए 160.00 लाख रुपये की रकम रखी गई है जिसमें गुड़गांव नहर परियोजना, पश्चिमी यमुना नहर को नया रूप देना, और फीडर परियोजना, रिवाड़ी उठान योजना और नलकूप लगाना शामिल है ।

रावी और व्यास से पाकिस्तान को सप्ताई किया जा रहा पानी सिन्दु करार के अधीन बन्द कर दिया जाएगा । इन दो नदियों के जल में हरियाणा राज्य का हिस्सा 4.48 एम० ए ० एफ० तक है । इस जल को प्राप्त करने का एकमाव स्रोत भाखड़ा जलाशय हं । 1973 के अन्त तक यूनिट संख्या 1 के पूरा होने के बाद 3.72 एम० ए० पी० जल भाखड़ा जलाशय में डाला जाएगा । इसलिए यह बात महत्वपूर्ण है कि मास के पानी को सतलुज बेसिन से पश्चिमी यमुना नहर–बेसिन तक ले जाने वाली नहर साथ साथ तैयार की जाए ताकि प्राप्त होने वाला पानी तुरंत उपयोग में लाया जा सके । हरियाणा की अर्थ व्यवस्था के लिए यह सम्पर्क नहर वहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऐसे क्षेत्रे को, जहां जल सप्लाई की मात्रा केवल 50 से 60 प्रतिशत तक हं, अधिक जल प्राप्त होगा । 67. 25 हजार क्यूसेक दी क्षमता दासी सगभग 120 मील लम्बी इस सम्पर्क नहर के निर्माण पर 27.00 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है । 1969–70 के दौरान सतलुज व्यास यमुना लिंक चौनल के लिए 4.85 लाख रुपए की सांकेतिक रकम रखी गई है । यह सरकार इस लिंक को 1973 के अन्त तक बनाने को बड़ा महत्व देती है तथा इसे शीघ्र पूरा करने के लिये योजना आयोग तथा भारत सरकार के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है ।

हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने नल–कूपों को विजली देने तथा गांवों में बिजली लगाने के कार्यक्रम में विशेष प्रगति की है । दिसम्बर, 1968 के अन्त तक 1,442 गांवों में बिजली लग चुकी थी

तथा लगभग 3 9,000 नल–कूपों को बिजली दी जा चुकी थी । पहली अप्रैल, 1968 से 31 दिसम्बर, 1968 तक 191 गांवों में बिजली लग चुकी थी । जहां तक नल–कूपों को बिजली देने का संबंध है, वर्प 1968– 69 के लिए पहले 1 5,000 कनैक्शनों का निशाना रखा गया था । यह निशाना पहले ही बढ़ाकर 18,000 नल–कूप कर दिया गया है । इस सदन को जानकर प्रसन्नता होगी कि बोर्ड' ने जनवरी के अन्त तक पहले ही 1 4,000 नलकूपों को बिजली दे दी है । (प्रशंसा)

वार्षिक योजना में तापीय (थर्मल) बिजली पैदा करने तथा उसके पारेषण के लिए 550 लाख रु० की रकम रखी गई है । अगले वर्ष फरीदाबाद में 55 मैगावाट वाले बिजली घर बनाने का काम शुरू करने का विचार है । इसके लिए 55 लाख रुपये रखे गए हैं । बिजली के वितरण तथा पारेषण कार्य–क्रम के लिए 250 लाख रुपए की रकम रखी गई हूँ । हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड 66 के० वी० तथा 132 के० वी० वाली पारेषण लाइनें बनाने के लिए 175 लाख रुपये की अतिरिक्त रकम खर्च करेगा । वर्ष 1969– 70 के दौरान बोर्ड ने 20,000 नलकुप्रों को बिजली देने और 40,000 साधारण कनैक्शन तथा 1.600 औद्योगिक कनैक्शन देने का निशाना रखा है । (प्रशंसा) ।

बाढ नियन्त्रण, जल निकास तथा सम निरोधी स्कीमें

हरियाणा में कृषि उत्पादन के लिए बाढ़ एक बहुत बड़ा खतरा है । प्रति वर्ष बाढ़ से एक बहुत बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है, जिसके कारण फसलों तथा सम्पत्ति को बहुत नुकसान होता है । यह सरकार बाढ़ सुरक्षा कार्यो –को उच्च प्राथमिकता देती है । संयुक्त राष्ट्र संघ वंगकाक के श्री कंवरसेन की अध्यक्षता में, जो अन्तरर्राष्टीय ख्याति के इंजीनियर हँ, तथा हरियाणा सरकार के अन्य विशेषज्ञों को मिलाकर एक पुनर्विलोकन बोर्ड बनाया गया है जो राज्य में सिंचाई, बिजली तथा बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं का पुनर्विलोकन करेगा । चालू वर्ष के दौरान बाढ़ नियंत्रण, सेम निरोधी तथा जलनिकास स्कीमों के लिए 85 लाख रुपए रखे गए है' । महत्वपूर्ण जलनिकास नालियों पर मिट्टी का काम अगली वर्षा ऋतु से पहले पहले समाप्त करने का निर्णय किया गया है ताकि नालियां बाढ़ के प्रकोप को सह सकें । अन्तरर्राष्टीय विकास एजेंसी ने हरियाणा राज्य में बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए भारत सरकार की 12 करोड़ रुपए तक की सहायता करने की स्वीकृति दी है । इसके लागू करने की तफसील अन्तिम हो जाने के बाद कार्यक्रम को तेज कर दिया जाएगा ।

उद्योग

हरियाणा राज्य विशेषकर दिल्ली के इर्दगिर्द का इलाका औद्योगिक विकास के लिए एक आदर्श इलाका है । दिल्ली के इर्दगिर्द सहायक कारखानों को विकास की सम्भाव्यताओं का लाभ उठाने के लिए, दिल्ली क्षेत्र के आसपास चार महत्वपूर्ण (फोकल) स्थानों

पर गैर– सरकारी उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है । 19 69–70 की वार्षिक योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत 100.00 लाख रुपए जुटाए गए हैं । इसमें से ह 9.00 लाख रुपए हथकरघा, मशीनी करघा, प्रसाधन यूनिट आदि जैसे लघु उद्योग विकसित करने पर खर्च किए जाएंगे । बड़े तथा मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए रखे गए 29.00 लाख रुपयों में से 5.00 लाख रुपये सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए रखे गए हैं और 12. 00 लाख रुपये औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से गैर–सरकारी उद्यमों में पूंजी कीं गारंटी देने के लिए रखे गए हैं । 5 लाख रुपए हरियाणा वित्त निगम की हिस्सा पूंजी बढ़ाने के लिए और 5 लाख रुपये औद्योगिक विकास निगम द्वारा प्रमुख स्थानों के विकास के लिए रखे गए हैं । गैर–सरकारी नए उद्योग– पतियों को प्रमुख स्थानों और ग्रामीण क्षेत्रो में उद्योगों की स्थापना में जोरदार प्रोत्साहन दिया जाता है, जिसमें विकसित औद्योगिक स्थान, जल, बिजली और संचार की सुविधाएं शामिल है ।

गैर सरकारी नए उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता और जोरदार प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा वित्त निगम और औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई है । पुनर्गठ न के बाद 31 अक्तुबर, 1968 तक हरियाणा वित्त निगम 48 पार्टियों को 1.64 करोड़ रुपये के. कर्जे मंजूर कर चुका था । उद्योग विकास निगम स्वयं या गैर सरकारी क्षेत्र के सहयोग से कारखाने लगाएगा या

उद्योग परियोजनाओं की हिस्सा पूंजी की गारंटी देकर या उसमें भाग लेकर उद्योगों का विकास करेगा । निगम ने पहले से ही जिला महेन्द्रगढ में संगमरमर की खान का कार्य शुरू कर दिया है जिसे काफी मात्रा में बाहर भी भेजा जा सकता है । निगम द्वारा माल्ट और शराब का कारखाना और माचिस बनाने का कारखाना लगाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा हूँ ।

छोटे उद्योगों के विकास पर विशेष जोर दिया जाता हे । राज्य उद्योग सहायता–अधिनियम के अन्तर्गत छोटे उद्योगो को 25, 000 रुपये तक 3 प्रतिशत और 25,000 रुपये से अधिक 7 प्रतिशत व्याज की दर से कर्जा के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है । छोटे पैमाने के कारखानों को कर्ज देने के नियमों में ढील दे दी गई है और कुछ खास मामलों में तो सहायता की रकम 50,000 से बढ़ा कर 1 लाख रुपये कर दी गई है । मई में उद्योग बस्ती का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है । लोहे, चुने, चकनी मिट्टी तथा रेत के भण्डारों की खोज की जा रही है । इन खोजों से पता चलता है कि ये खनिज पदार्थ काफी मावा में मिल सकें गे । तकनीकी व्यक्तियों को छोटे उद्योग लगाने के लिए संस्थागत साधनों से सरकार की गारंटी पर सहायता की स्कीम पर विचार किया जा रहा है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण

उद्योग प्रशिक्षण की सुविधाओं का नए सिरे से गठन करने का विचार है ताकि वे उत्पादन के नए ढंगों के अनुसार मेल खाएं । इन सुविधाओं से साधारण स्त्रियो की संध्या बढ़ गई है तथा उन्हें रोजगार की उतनी सुविधाएं नहीं मिलतीं, इसलिए इनके विस्तार का विचार नहीं है । प्रशिक्षण के कार्यक्रम में तालमेल स्थापित किया गया है और इनमें कई और उपयोगी दस्तकारियां शामिल की जा रही हैं ।

वर्ष 1969– 70 के दौरान 7. 50 लाख रुपये की रकम रखी गई है और आशा है कि दो महिला औद्योगिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे और फार्मेसी तथा पुस्तकालय विज्ञान में दो वर्ष के कोर्स का प्रशिक्षण देने के लिए महिलाओं के लिए एक बहुशिल्पालय (पालिटैकनिक) पहली अगस्त, 1968 से चल रहा है ।

सड़कें तथा सड़क परिवहन

अर्थ–व्यवस्था के तेजी से विकास के लिए सड़कें अत्यन्त महत्वपूर्ण है' । वर्ष 1966– 67 के आरम्भ में हरियाणा राज्य के क्षेव में कुल 5,380 किलोमीटर लम्बी सड़कें थीं । तब से तीन वार्षिक योजनाओं के दौरान सड़कों की 800 किलोमीटर लम्बाई बढ़ा दी गई हं तथा वर्ष 1968– 69 के अन्त तक राज्य में कुल 6180 किलोमीटर लम्बी सड़कें हो जाएंगी । (प्रशंसा) आशा है कि वर्ष 1968– 69 के दौरान 250 किलोमीटर तथा वर्ष 1969–70 के दौरान 300 किलोमीटर अतिरिक्त लम्बी सड़कें मुकम्मल की जाएंगी

। (प्रशंसा) वर्ष 1968–69 के दौरान राज्य में बाढ़ो से सड्कों को काफी हानि पहुंची तथा वर्ष 1968– 69 के लिए सड़कों के निर्माण की रकम को 100 लाख रुपए से बढ़ाकर 210 लाख रुपए कर दिया गया । ग्रामीण और पहुंच सड़कों को उच्च प्राथमिकता दी गई है और ग्राम सहकारी सड़क स्कीम के अन्तर्गत 100 लाख रुपये की रकम, जिसमें इन देहाती सड्कों पर आने वाली लागत का 75 प्रतिशत भाग सरकार देगी । दूसरा 25 प्रतिशत भाग विपणन समितियों द्वारा दिया जाएगा । वर्ष 1968– 69 के दौरान वर्तमान सड़कों को चौड़ा करने, मरम्मत करने और मजबूत बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है । 1969– 70 के दौरान सड्कों पर काम करने के उत्साह को बनाए रखा जाएगा और इस के लिए 200 लाख रुपये की व्यवस्था की जा चुकी है ।

पहली अप्रैल, 1968 को हरियाणा परिवहन के पास 567 बसें थीं, जोकि प्रतिदिन 210 मार्गो पर 72,000 मील चलती थीं । 1968– 69 के दौरान परिवहन के लिए रकम की व्यवस्था 50 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपए कर दी गई है और आशा है कि लगभग 80 गाड़ियां और खरीद ली जाएंगी । वर्ष 1969– 70 के दौरान योजना के अन्तर्गत 90 लाख रुपये खर्च करने का विचार है और 100 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी । यावियों को सुविधाएं प्रदान करने के लए वर्ष 1969– 70 के दौरान तोशाम, रिवाड़ी, पानीपत और अम्बाला शहर में बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा । बसों की सही देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए हिसार, सिरसा और

भिवानी में वर्कशापें खोली जाएंगी । विस्तार कार्य क्रम के पूरा हो जाने पर हरियाणा के प्र मुख कसबों को उत्तर प्रदेश और राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्रो के महत्वपूर्ण शहरों को बसों द्वारा मिला दिया जाएगा ।

सामान्य शिक्षा

हरियाणा पढ़ने–लिखने के क्षेव में विशेष रूप से पिछड़ा हुआ है और स्तियां तो बहुत कम पढ़ी–लिखी हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए योजना के अधीन 190 लाख रुपए की रकम रखी गई है । प्राइमरी शिक्षा के क्षेर को बढ़ाने पर जोर दिया गया है । वर्ष 1969– 70 के दौरान 50 नए प्राथमिक स्कूल खोलने, 50 स्कूलों का दर्जा बढाकर उन्हें मिडल स्कूल बनने और 24 मिडल स्कूलों को हाई स्कूल बनाने का विचार हे । इस प्रकार प्राइमरी स्कूलों में 86,000 बच्चे मिडल स्कूलों में 24, 000 बच्चे और नवीं से ग्यारहवीं कक्षा मं 10, 000 बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे । वर्ष 1969–70 के दौरान एक सरकारी कालेज और दो पूर्व–प्राइमरी स्कूल खोलने का भी विचार है । आशा है कि स्थापित किए जाने वाले स्कूल शिक्षा वोर्ड द्वारा 1970 में हरियाणा के उम्मीदवारों की मंड़िक तथा हायर सैकंडरी की पहली बार परीक्षा ली जाएगी ।

राज्य सरकार की आठवीं कक्षा तक मुपत शिक्षा सम्बन्धी नीति जारी रहेगी और अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के बच्चों की भलाई के लिए 30. 50 लाख. रुपए की रकम रखी जा

रही है । वर्ष 1969– 70 के दौरान स्कुल और कालेज के छाजें को वजीफे देने के लिए 7. 80 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे ।

हरियाणा भे' लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष ध्यान दे रही है । वर्ष 1968– 69 के दौरान रोहतक जिले के नाहर स्थान पर पहले ही छात्राओं और अध्यापिकाओ के लिए इकटठा छात्रवास बनाया जा चुका है ।

तकनीकी शिक्षा

राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड सरकारी एवं गैर–सरकारी तकनीकी संस्थानों का मार्ग दर्शन करता है, एवं उनपर नियंत्रण भी रखता है । मध्य स्तरीय मिस्त्रियों की बढ़ती हुई मांगों को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद में वाई. एम. सी. ए. इंजीनियरी संस्थान स्थापित करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है । यह संस्थान सेंडविच पाठ्यक्रम के लिए बनाया गया है और इस पाठ्यक्रम को मांग के अनुसार दूसरे तकनीकी संस्थानों में और अधिक अपनाया जाएगा । इस योजना के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिए वर्ष 1969– 70 के दौरान 76 लाख रुपए की रकम रखी गई है । इजीनियरी पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिये निर्धन तथा जरूरतमन्द विद्यार्थियों को ब्याज–रहित करने देने के लिए विशेष व्यवस्था को गई है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

वर्ष 1969– 70 के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिये 100 लाख रुपए की रकम रखी गई है । इसमें से 2237 लाख रुपए की

रकम चिकित्सा महाविद्यालय (मेडिकल कालेज), रोहतक, के सुधार तथा विस्तार पर खर्च की जाए गी । चिकित्सा महाविद्यालय, रोहतक, में दाखिल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले ही बढाकर 150 कर दी गई है । राज्य में चिकित्सा के सहायक अमले की बहुत कमी है । इसके प्रशिक्षण पर 5.68 लाख रुपए की रकम खर्च की जाएगी । जिला तथा तहसील अस्पतालों का विस्तार किया जाएगा और हिसार, गुड़गांव, करनाल और अम्बाला में कुछ बालचिकित्सा केन्द्र खोले जाएंगे ।

इन कार्यक्रमों के लिए कुल 38.89 लाख रुपए की रकम रखी गई है । 20 लाख रुपए के खर्च से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का सुधार किया जाएगा और इस स्तर पर 24 अतिरिक्त अन्तरंग रोगियों के इलाज की व्यवस्था की जाएगी ।

परिवार नियोजन कार्य क्रम पर 1968– 69 में किया जाने वाला खर्च 75. 79 लाख रुपए से बढ़ाकर 1969– 70 में 125 लाख रुपए कर दिया गया हँ ।

अनुसूचित जातियां और पिछड़े वर्ग

सरकार समाज के इस वर्ग की गरीबी के प्रति जागरूक है और सरकार ने हरिजन कल्याण निधि को, जिससे शिल्पों तथा अन्य आर्थिक कार्यों में लगे हरिजनों को वित्तीय सहायता दी जाती है, बढ़ाने के लिये योजना में रखी गई रकम के अतिरिक्त 25 लाख रुपये रखने का निर्णय किया है । (प्रशंसा) चालू वर्ष की वार्षिक

योजना में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वगों को सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए 20 लाख रुपए की रकम रखी गई है । इस रकम में से 13 लाख रुपए हरिजन विद्यार्थियों को वजीफों और फीस में रियायतों के रूप में, 3. 80 लाख रुपए कृषि भूमि की खरीद के लिए ऋण मकानों, कृषि भूमि पर कुंओं के लिए सहायता के रूप में दिए जाएंगे । उन्हें रिहायशी घरों, पीने के पानी के कुंओं, सामुदायिक केन्द्रों के निर्माण के लए और कानूनी मामलों में सहायता देने के लिए 3. 20 लाख रुपए रखे गए हैं । आशा है कि सरकार द्वारा 1968– 69 की वार्षिक योजना में की गई 34. 50 लाख रुपयों की रखी गई रकम के साथ चालू वर्ष में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए उपर्युक्त स्कीमों पर 68. 91 लाख रुपये खर्च किये जएंगे । (प्रशंसा)

जल सप्लाई

हरियाणा में पी ने के शुद्ध पानी की कमी है । रेतीले क्षेत्रो में, जहां भूमि में पानी का तल बहुत गहरा है और प्राप्त पानी प्रायः खारा है, पानी की यह कमी बहुत अधिक है । जनता को पानी की इस कमी से मुक्त करने के लिए जल सप्लाई स्कीमों पर 1968– 69 वर्ष के दौरान खर्च हुई 40 लाख रुपयों की रकम को बढ़ाकर 1969– 70 के दौरान 75 लाख रुपये कर दिया गया है । 1969–70 के दौरान नगरों में चालू राष्ट्रीय जल सप्लाई स्कीमों को बढ़ावा देने के अलावा दो और नगरों को इस योजना के अन्तर्गत लाया जाएगा । मल निकास व्यवस्था स्कीमें ह शहरों में

जारी रखी जाएंगी तथा 3 और शहरों में शुरू की जाएंगी । फिर भी गावों में जल–सप्लाई को पहल दी जा रही है, जहां ऐसी वर्तमान 100 स्कीमों के अतिरिक्त 30 गावों में नई स्कीमें शुरू की जाएंगी । कुएं बनाने के कार्यक्रम के लिए 3 लाख रुपए रखे गए हैं । इसके अधीन पंचायतों को जिला परिषदों ब्लाक समितियों के जरिये अनुदान तथा सहायता दी गई है ।

कुरुक्षेत्र का विकास

सरकार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय तथा शहर के विकास को बहुत महत्व देती हे । यह प्राचीन भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता का विकास–स्थल है । इस प्रयोजन के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त बोर्ड स्थापित किया गया है । कुरुक्षेत्र नगर तथा विश्वविद्यालय के शीघ्र विकास के लिए धन जुटाने के लिए भू–राजस्व तथा सम्पत्ति कर पर 50 प्रतिशत का अधिभार जारी रखा जा रहा है । चालु वर्ष में बोर्ड को विकास कार्यों के लिए 10 लाख रुपए का सहायता अनुदान दिया गया है ।

मुद्रण तथा लेखन सामग्री

सरकारी कार्यालयों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने अपना छापाखाना स्थापित करने का निर्णय किया है । इस प्रयोजन के लिए 1969– 70 के योजना बजट में मशीनरी के लिए 8 लाख रुपये की रकम रखी गई है ।

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए करनाल तथा हिसार में पाठ्य–पुस्तकों के बिक्री डिपो खोले गए हैं तथा 1969– 70 में रिवाड़ी में एक और डिपो खोला जाएगा ।

विंक्रय कर

व्यापारियों द्वारा आश्वासन दिए जाने पर राज्य सरकार ने आबकारी तथा कर विभाग के अधिकारियों द्वारा व्यापारिक संस्थापनों पर छापे मारने का काम वर्ष के लिए तजरबे के रूप में रोकने का निर्णय किया हूँ ताकि व्यापारी अपने सामान्य कार्य की ओर ध्यान दे सकें । आशा है कि व्यापारी लोग इस विश्वास पर पूरे उतरेंगे और राज्य की आमदनी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने देंगे

राज्य सरकार ने सूती कपड़े पर लगे बिकी कर की 3 प्रतिशत दर को घटा कर 1 प्रतिशत कर दी है ताकि हरियाणा और दिल्ली को दरें बराबर हो सके । सिले–सिलाये कपडो पर भी बिकी–कर घटा दिया गया है । लघु सिंचाई योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए मोनो ब्लाक पम्पिगसैटों पर बिकी–कर को दर 10 प्रतिशत से घटाकर ह प्रतिशत कर दी गई है । पैट्रोल से तैयार होने वाले पदायों पर बिकी–कर अन्तिम बिकी को बजाए पहली बिकी पर लगाने का निर्णय किया गया है ।

राज्य सरकार भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को पहल देती है । राज्य सरकार द्वारा सेना से निकले आपात राजादिष्ट अधिकारियों (एमरजेंसी कमीशंड अफसरों), भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों

तथा भूतपूर्व अपंग सैनिकों के पुनर्वास के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं । सीमान्त युद्धों में शहीद हुए तथा गुमशुदा सैनिकों के परिवारों तथा नाकारा सैनिकों को अनुग्रह– अनुदान की सुविधाएं दी गई हैं । अब यह सुविधा देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए या प्राकृतिक विपतियो के समय सिविल अधिकारियों की सहायता करते हुए नाकारा होने वाले व्यक्तियों को भी दी जायेगी । सरकार ने राष्ट्रिय इण्डियन मिलिट्री कालिज, देहरादून, में दाखिल हुए छलों के लिए छाववुति की रकम भी 600 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1, 000 रुपए प्रतिवर्ष कर दी है । सरकार ने पुनर्निर्माण एवं भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास के वास्ते सहायता व कजें आदि देने के उपयोग में लाई जाने वाली इस विशेष निधि में ,अपने हिस्से की 14. 9 लाख रुपए की रकम दी है । राज्य सरकार ने पहली दिसम्बर, 1967 से उपलब्ध होने वाले स्थायी पदों के सम्बन्ध में आपात राजादिष्ट अधिकारियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदो की संख्या 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है । उनके लिए सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले उतने ही प्रतिशत अस्थायी पद भी सुरक्षित रखे जायेंगे । सरकार ने प्रत्येक वीरता पुरस्कार की पूरी रकम नकद अदा करने का भी निर्णय किया है ।

सरकारी कर्म चारियो के वित्तीय सहायता

जैसा कि पहले जिक्र किया गया है, सरकार ने 1 सितम्बर, 1968 से अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता बढकर केन्द्रीय सरकार के

कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के बराबर कर दिया हुइ । चीजों की बढती हुई कीमतों के कारण कर्मचारियों की कठिनाईयों के प्रति सरकार पूरी तरह सजग है । वित्तीय कठिनाईयों के होते हुए भी सरकार ने वेतनमानों में संशोधन की घोषणा की है ताकि सभी श्रेणियों के कर्मचारियो को लाभ हो सके । (प्रशंसा) इन दोनों उपायों से सरकारी खजाने पर लगभग 2.78 करोड़ रुपए का वार्षिक बोझ पड़ेगा । वेतनमानों में न केवल वृद्धि ही की गई है, वल्कि उन में सुधार करने का भी यत्न किया गया है । वेतनमानों की संक्या लगभग 500 से घटाकर 100 कर दी गई है और महंगाई वेतन को मूल वेतन में मिला दिया गया है । अब 500 रु० तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता मिलने लगेगा । सभी वेतनमानों में दक्षता–रोध लागू कर दिया गया है । लगभग एक दर्जन पद श्रेणियों में पहली बार सिलैक्शन ग्रेड बना दिये गए हैं । कुछ एक स्थितियों में तो प्रवरता (सिलैक्शन) ग्रेडों को भी बता दिया गया है । डाक्टरों, इंजीनियरयों, माल विभाग के अमले, आबकारी, कराधान और खजाना कर्मचारियों और सहायक सचिव से लेकर चपरासियों के पदों की सभी श्रेणियों की ओर विशेष ध्यान दिया गया है । इनमें से अधिकतर श्रेणियों के कर्मचारियों को अब उन्हीं श्रेणियों के पंजाब के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमान की तुलना में अच्छा वेतनमान मिलेगा । 'ख' तथा 'ग' वर्ग के कार्यालयों के अन्तर को समाप्त कर दिया गया है और 'ग' वर्ग के कर्मचारी अब 'ख' वर्ग के कार्यालयों के कर्मचारियों के बराबर होंगे । सदन को यह जानकर खुशी होगी

कि 50,000 से अधिक कर्मचारियों को इस से लाभ होगा और तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक प्रतिशत लाभ होगा । अध्यापकों और पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं । इस प्रकार सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन कर दिया गया है, ताकि सभी कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके । हरियाणा सरकार के कर्मचारी अब देश के सब से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों में से हैं । (प्रशंसा)

सरकारी कर्मचारियों के लिए रिहायशी मकानों की कमी को ध्यान में रखते हुए जिला नगरों में सिलसिलेवार कार्यकम के रूप में सभी श्रेणियों के कर्म. चारियों ' के लिए रिहायशी मकान बनाने का विचार है । इस प्रयोजन के लिए हर वर्ष धन जुटाया जाएगा । कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए दी जाने वाली पेशगी रकम की शर्तो को उदार बनाने का निर्णय भी किया गया है । .वे अब भविष्य में मकान बनाने के लिए ऋण के रूप में 60 महीने का वेतन प्राप्त कर सकेंगे, जबकि अब ऐसे च्छग के रूप में उन्हें 48 मास का वेतन मिलता है । पैन्शनों की अदायगी में होने वाली देरी सम्बन्धी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने पैन्शनो की मन्जूरी और अदायगी के नियमों और कार्यविधि को भी सरल बनाने का निर्णय किया है ।.

विकास कार्यो के विस्तार के फलस्वरूप बढ़ी हुई मांग और कार्यालयों के –र लिए स्थान की कमी को ध्यान मै रखते हुए

जिलों और उपमण्डल मुक्यालयों मे नए कार्यालय भवन बनाने का भी विचार है । 1969– 70 में यह कार्य करनाल में आरम्म किया जाएगा जहां सभी कार्यालयों के लिए एक कई मंजिला कार्यालय भवन. वनाया जाएगा । इससे सरकारी कर्मचारियों और सरकारी कार्यालयों से सम्बन्धित आम जनता को सुविधा होगी ।

हरियाणा राज्य गांधी शताब्दी समारोह समिति

राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि इस वर्ष गांधी शताब्दी समारोहों में सक्रिय रूप से भाग लिया जाए । इस समबन्ध मे कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक उच्च–अधिकार समिति बनाई गई हूँ और राज्य सरकार हरियाणा राज्य गांधी शताब्दी समारोह समिति को 10 लाख रुपए का सहायता अनुदान देगी । इस रकम को कुरुक्षेत्र में गांधी–मंडप वनाने और कुएं तथा नलकूप लगवाने पर खर्च किया जाज्गा । विभिन्न रुलाको में 1. 50 रुपए के खर्च से स्मारक बनाने का भी विचार है । महात्मा गांधी के योगदान और आदर्शों का प्रचार करने के लिए प्रदर्शनियां लगाई जायेंगी ।

नशाबन्दी

शराब पीना एक सामाजिक बुराई है और सविधान के निर्देशात्मक सिद्धांतों के अनुसार राज्य सरकार इस वात के लिए वचनबद्ध है कि सिलसिलेवार कार्यक्रम के अनुसार नशाबन्दी लागू की जाए (प्रशंसा) । इस कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

करों में राहत

घाटे को देखते हुए करों में कोई अधिक राहत देने का विचार नहीं है । फिर भी सरकार ने निर्णय किया है कि नये लगने वाले कारखानों पर पहले पांच साल तक सम्पत्ति–कर (प्रापर्टी टैक्स) न लगाया जाए । बुढापा पैंशन की योजना को दोबारा शुरू करने का फैसला किया गया है । (प्रशंसा) अब इस पैशन की 15 रुपए की रकम बढ़ाकर 25 रुपए कर दी गई है । (प्रशंसा) शहरी अचल सम्पत्ति–कर की वसूली के ढंग को भी सरल बनाने पर सरकार विचार कर रही है ।

सरकार इस वात पर विचार कर रही है कि जिन व्यक्तियों पर पंचायत समितियां व्यवसाय कर लगाती हैं, उनके सम्बन्ध में व्यवसाय कर में संशोधन किया जाए ।

निष्कर्ष

अन्त में मैं आप का ध्यान इस बात को ओर दिलाना चाहती हूं कि 1968– 69 के अन्त में बजट की हालत, जैसा कि अब पता चल रहा है, जुलाई, 1968 में बजट वश करने के समय की हालत के मुकाबले में बहुत अच्छी हूँ । उस समय यह अनुमान लगाया गया था कि 771 लाख रुपए के घाटे से शुरु होने वाले वर्ष (1968–69) के अन्त में 816 लाख रुपए का घाटा रहेगा । अब हिसाब लगाया गया है कि यह घाटा केवल 6.50 लाख रुपए का ही हागा । 1967– 68 में चालू की गई

गांवों में बिजली लगाने की स्कीम के लिये भारत सरकार से 140 लाख रुपए का उधार लेने के बाद यह घाटा और भी कम रह जायेगा । इस सुधार का बड़ा कारण योजनेतर खर्च पर कठोर नियन्त्रण तथा सरकार को देय रकमों की बड़े पैमाने पर वसूली है ।

अब अनुमान लगाया गया है कि 1969– 70 के दौरान, 124 लाख रुपए का घाटा रहेगा, और वह भी इसलिये कि (क) योजना सम्बन्धी खर्च के कारण 26 करोड़ रुएए तथा (ख) वेतनमानों में वृद्धि के कारण 2 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे । इस लिए वर्ष 196 9–70 के अन्त में कुल घाटा 774 लाख रुपए का, अर्थात् (656 जमा 124 लाख रुपए का) होगा । फिलहाल इस घाटे को इसी तरह छोड़ा जा रहा है । अगला वर्ष चौथी पंच वर्षीय योजना का पहला वर्ष है, जिसके लिए योजना आयोग ने हरियागा के लिए 1.90 करोड़ रुपए का सुझाव दिया है । हम योजना खर्च. में वुद्धि करना चाहा हैं ताकि हरियाणा बड़ी से ही से तरक्की कर सके और पिछले वर्षो में की गई लापरवाही के कारण हुई कमी को पूरा किया जा सके । अपनी योजना को पूरा करने के लिए हमें नये फालतू साधन ढूंढने पड़ेंगे । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक साधन तथा किफायत समिति नियुक्त की है । घाटे को समाप्त करने तथा राज्य की आमदनी को बढ़ाने. के तरीके सुझाने से पहले. मैं इस समिति की सिफारिशों का इन्तजार करन चाहती हूं ।

अन्त में मैं सदन की मंजूरी से यह कहना चाहूंगी कि चाहे इस मत्रीमंडल को काम ममाले अभी 9 महीने से भी कम समय हुआ है, फिर भी अब हरियाणा उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहा है । इस राज्य को स्थिर सरकार तथा निष्ठावान् नतृत्व की आवश्यकता कस । मैं इस महान् सदन के सदस्यों से प्रार्थना करती हूं कि आपसी मतभेदों के बावजूद भी हमें राज्य के विकास में बाधा नहीं डालनी चाहिए और इसकी अर्थ–व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयत्नों में पूरी तया बिना शर्त सहायता देनी चाहिए । मुझे विश्वास है कि यदि विकास के अगले पांच वर्षो में स्थिर सरकार बनी रही तो हरियाणा का नक्शा ही बदल जाएगा और इस राज्य में खुशहाली का दौर शुरु हो जाएगा ।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं अपना कर्त्तव्य समझती हूं कि योजना तथा वित. आयुक्त, विभाग के अन्य अधिकारियो तथा कर्मचारियों का धन्यवाद करूं जिन्होंने बहुत थोड़े समय में बजट अनुमान तैयार करने के लिए कठोर परिश्रम किया ।

में महालेखापाल, हरियाणा का तथा नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री और उसके अमले का समय पर दी गई सहायता के लिए धन्यवाद करना चाहूंगी ।

महोदया, अब मैं' वर्ष 1969–70 के बजट अनुमान पेश करने की अनुमति चाहूंगी ।

जय हिन्द

9.30 A.M.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9-30 A.M. on Tuesday, the 11 th February, 1969.

(The House then adjourned)